सफलता के सोपान
एक अनुकरणीय अभियान

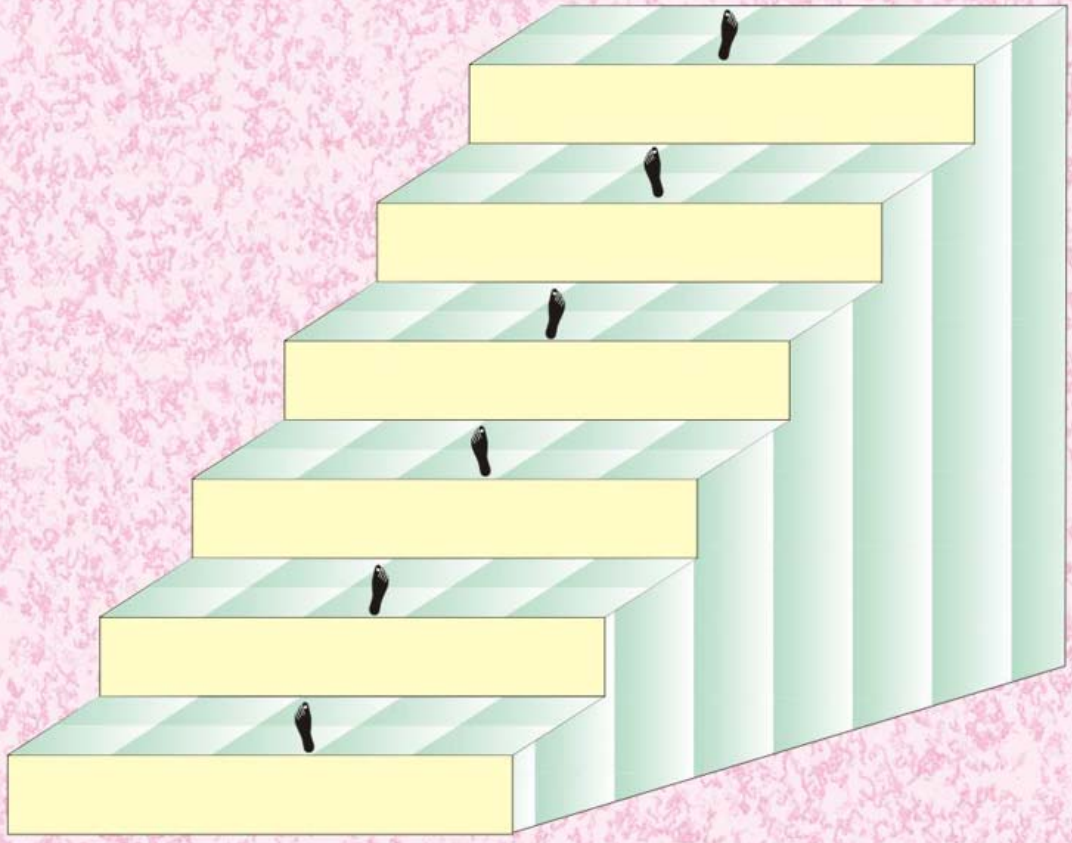

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान

भारत जननी परिसर, रानीपुर मट्ट, पोस्ट-सीतापुर, चित्रकूट-210204 (उ.प्र.), दूरभाष : 05198-224332

E-mail : abssschitrakoot@rediffimail.com : absss@sancharnet.in

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	आभार	2
2.	पृष्ठभूमि	3
3.	जनसुनवाई एक अनुकरणीय प्रयास	4
4.	जन समस्याओं के समाधान में मीड़िया की अहम भूमिका	4
5.	भूमि विवाद रहित उल्दना, सोल्दा गाँव	5–8
6.	साहस की जीत	9–10
7.	जीविका का स्थाई आधार भूमि, मजदूर बने मालिक	11–18
8.	करने लगे खेती पूरन, रघुबीर	13
9.	फिकरा घास की रोटी खाने से मिली मुक्ति	19–20
10.	ज़मीन कब्जे से जानकी के जीवन में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा	20
11.	सहरिया आदिवासी बच्चों ने किया साहस...	21–22
12.	ग्राम पंचायत बिल्हरका में 25 वर्षों बाद पट्टा धारकों को नाप...	23
13.	बारह वर्षों से अपूर्ण पड़े पुंगरी पुल निर्माण में मिली सफलता	24–25
14.	विश्वास संघर्ष ने दिलाया 32 परिवारों को ज़मीन	26–27
15.	ज़मीन पाकर खुश हुए ग्रामीण	28–30
16.	सतत् प्रयास से गाँव की शिक्षा व्यवस्था ठीक हुई	31–32
17.	राशन विसंगतियों के खिलाफ ग़रीबों का बिगुल बजा	33–34
18.	कई वर्षों बाद मिला भूमि पर कब्जा	35
19.	सतत् पैरवी से 39 परिवारों को मिला अपनी भूमि पर कब्ज़ा	36–37
20.	कबूतरा समुदाय की महिलाओं ने लिया मोर्चा	38
21.	पचिया की हुई जीत	39
22.	पंचायत ने सुलझाया 72 एकड़ भूमि का मुद्दा	40
23.	मुलुवा को मिली बैंक के फर्जी ऋण से मुक्ति	41
24.	शोषण के खिलाफ़ एक सफल प्रयास	42
25.	बैंक के फरेब से बच गये अँगूठा छाप	43
26.	स्वयं सहायता समूह के बल बर उर्मिला को मिला जीवन जीने...	44
27.	चिनगारी संगठन के सतत् प्रयास से सम्भव हो सकता तेन्दूपत्ता...	45–46
28.	एक ऐतिहासिक जीत	47
29.	समूह की पहल से कमला को मिलने लगी विधवा पेंशन	48

सफलता के सोपान

एक अनुकरणीय अभियान

विकास,
सामाजिक न्याय,
कानून, समाज,
पर्यावरण, योजना,
अधिकार एवं कर्तव्य
विषयक जागरूकता
एवं साक्षरता श्रंखला
माला
क्रमांक -

संरक्षण, मार्गदर्शन
गोपाल भाई

संकलन एवं सम्पादन
भागवत प्रसाद

सहयोग
विद्यासागर बाजपेयी,
गजेन्द्र सिंह,
ज्योत्सना, प्रियंका

शब्दांकन
कुमार अरबिन्द

वर्ष - 2004-2005

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान
भारत जननी परिसर, रानीपुर भट्ट, पो०-सीतापुर
जनपद-चित्रकूट (उ०प्र०) २१०२०४
द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित
दूरभाष : ०५१९८-२२४३३२
E-mail : abssschitrakoot@rediffmail-com
absss@sancharnet.in

अपनी बात

सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप कुछ सफलताएँ सामने हैं। आत्म प्रशंसा का यद्धपि समाज में वातावरण अपने चरम पर है। इस स्थिति से बचने का प्रयास किया गया है। सफलताएँ जो हम आपको यहाँ समर्पित कर रहे हैं, उस समर्पण के पीछे विशुद्ध भाव यह है कि समाज परिवर्तन के लिए संघर्षरत् नये साथी हमारी प्रयास, प्रक्रिया जान–समझ कर और अधिक प्रेरित हो सकें। आप जानते हैं कि अन्तिम स्थिति में जीने की जिसकी वाध्यता है, वह एक बहुत बड़ा समुदाय है। ऐसे उपेक्षित समुदाय की आवाज़ बनना एक जोखिम भरा साहस का कार्य है। राजनीति करने वाले लोग या दल ग़रीब की पक्षधरता सघन रूप से कभी नहीं कर पाये हैं। केवल स्वैच्छिक प्रयास ही आशा की किरण हैं। ऐसे साहसी, समर्पित, साथियों को साधुवाद देते हुए आपको यह लघु पुस्तिका समर्पित है। मार्गदर्शन प्रार्थनीय है।

नागरिक समाज संस्थाओं के समग्र विकास के साथ–साथ तृणमूल कार्यकर्ताओं की क्षमता वृद्धि, नेतृत्व विकास, आजीविका एवं हकदारी तक निर्धनों की पहुँच एवं नियंत्रण, चुप्पी संस्कृति के विरुद्ध आवाज, स्वाभिमान एवं अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में पैक्स कार्यक्रम वरदान सिद्ध हो रहा है। वंचित, शोषित, उपेक्षित, उत्पीडित, अभावग्रस्त एवं सामाजिक न्याय से कोसो दूर बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र के वंचितों, निर्धनों, दलितों एवं आदिवासियों तथा महिलाओं के बीच अवसर प्रदान करने हेतु पैक्स कार्यक्रम के प्रति आभार ।

पैक्स कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनी सभी सहभागी संस्थाओं, जुझारू साथियों एवं संघर्षशील कार्यकर्ताओं के प्रति कोटिशः आभार। अपने जीवन एवं परिवार की चिन्ता न करते हुए भी समाज परिवर्तन, सामाजिक न्याय एवं समानतायुक्त समाज की दिशा में अहर्निश लगे हुए हैं।

अपनी सहभागी संस्थाओं एवं साथियों यथा (1) बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान, विकासखण्ड–मड़ावरा, जनपद–ललितपुर (2) परागीलाल विद्याधाम समिति, विकासखण्ड–नरैनी, जनपद–बाँदा, (3) कृष्णार्पित सेवाश्रम, विकासखण्ड–महुवा, जनपद–बाँदा, (4) अरुणोदय संस्थान, विकासखण्ड–जैतपुर, जनपद–महोबा, (5) दामिनी समिति, विकासखण्ड–कर्वी, (शिवरामपुर, भरतकूप) जनपद–चित्रकूट (6) पाठा कोल विकास समिति, विकासखण्ड–मानिकपुर, जनपद–चित्रकूट, (7) अन्त्योदय संस्थान, विकासखण्ड–मौदहा (सिसोलर), जनपद–हमीरपुर के सक्रिय, रचनात्मक प्रयोगो, प्रयासों को यहाँ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान, चित्रकूट (उ0प्र0) ऐसे ही युवा, उदीयमान, महिला एवं दलित नेतृत्व के गढ़ने–मढ़ने का अकिचंन प्रयास कर रहा है। बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र में सामाजिक जागरूकता, जनान्दोलन, रचना एवं संघर्ष के साथ–साथ बुन्देलखण्ड के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन की दिशा में संस्थान सार्थक, स्थायित्व विकास की वकालत एवं प्रयोग की दिशा में समर्पित है।

विश्वास है सामाजिक, स्वैच्छिक जगत के युवा, उदीयमान साथी प्रेरणा ले सकेंगे।

सामार सहित

(भागवत प्रसाद)
निदेशक
अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान, चित्रकूट (उ.प्र.)

पृष्ठभूमि

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान ने अपने जन्म काल से चित्रकूट जिले के मानिकपुर ब्लाक में अपना कार्य प्रारम्भ किया। इस ब्लाक के सुदूर वनाँचलों के गाँवों में दलितों एवं कोल आदिवासियों की स्थिति अति दयनीय थी। चुप्पी संस्कृति एवं मृतवत् समुदाय जैसे विशेषणों से नवाज़ा जाने वाला यह समुदाय समाज का सबसे पिछड़ा एवं अन्तिम व्यक्ति था। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित यह समुदाय रोटी कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहकर बन्धुआ जीवन जीने को मजबूर था। बंधनयुक्त जीवन जीने के कारण उसे अपनी बहन, बेटी एवं पत्नी भी समाज के बड़े लोगों के मनचले लाड़लों को न चाहते हुए भी सौंपना पड़ता था। शासन–प्रशासन एवं सामन्ती प्रवृत्ति के लोगों के लिए यह समुदाय ''पारस पत्थर'' के समान था। जी तोड़ मेहनत करने के बदले मजदूरी में पाता था वह भूख मिटाने के लिए 5 पाव जौ, ज्वार या महुवा, प्यास मिटाने को अपमान भरे शब्द, रहम और प्रशंसा में मिलती थी धमकी, घुड़की और गालियाँ और शान्ती से रात्रि बिताने हेतु मिलता था लात–घूँसे और जूतों –बूटों की बेदर्दी से मारी चोट जिसे वह घर जाकर हल्दी–चूने का लेप लगाकर रोज़ाना का उपहार मानकर उसे सहेजकर रखता था। सुबह खटिया से न उठ पाने की स्थिति में बाप का कार्य तुरन्त संभाल लेता था कोई किशोर कोल बालक क्योंकि वह जानता था कि इस बार उसके बापू खटिया नहीं छोड़ेगे और उसे जरूरत पड़ेंगी तीन हाँथ कपड़े की। बेटा होने का फर्ज तो उसे निभाना ही है। रोती–विलखती माँ को देख बेटा ज्यों ही चुप हो जाने की बात कहता है तभी माँ के मुँह से अचानक निकलता है कि मैं बापू के लिए कम तेरे लिए ज्यादा रो रही हूँ, पता नहीं कब कोई दरोगा तुझे कलुवा डकैत बनाकर कहीं तेरा भी इनकाउन्टर न कर दे चिन्ता तो मुझे उस दिन की है।

ऐसी विसंगतियों भरे क्षेत्र में संस्थान ने अपना कार्य 1982 से प्रारम्भ किया। यह कार्य मुख्य रूप से रचना एवं संघर्ष पर केन्द्रित था। कार्य को गति प्रदान करने हेतु सघन सम्पर्क एवं सर्वेक्षण कर मुख्य–मुख्य मुद्दों को चिन्हित कर ग्रामीण हकदारी एवं बन्धुवा मुक्ति का कार्य प्रारम्भ किया गया। लगभग 3000 बन्धुवा मजदूरों को छुड़ाकर उनका पुनर्वास करवाया गया। गाँव–गाँव भूमि के कब्जे से वंचित लोगों को 15000 एकड़ भूमि नापकर दिलवाई गयी। फिर कोई न छीने इसलिए ज़मीन का सीमाँकन करवाकर मेड़बन्दी करवाई गयी। आवश्यकतानुसार गाँव में ही मौजूद स्थानीय प्राकृतिक जल स्रोतों को चौड़ा और गहरा करवाकर उनकी बंधाई कर पेयजल व्यवस्था ठीक की गई। सिंचाई हेतु छोटे–छोटे तालाब एवं चेक डैमों का निर्माण किया गया। शोषण, उत्पीड़न रोकने हेतु आदिवासियों का ''पाठा कोल अधिकार मंच'' बनाया गया जो निरन्तर अपने हक़ एवं अधिकारों को पाने हेतु सक्रिय है। गाँव–गाँव में सभी को शिक्षा से जोड़ने हेतु लगभग 60 विद्यालय चलाए गये जिनमें पढ़कर निकले बच्चे समाज में परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। संस्थान ने वर्ष 2002 में रणनीतिक नियोजन प्रपत्र तैयार किया। अपनी कमियों एवं मजबूतियों का विश्लेषण किया। संस्थान ने अनुभव किया कि जो परिस्थितियाँ एवं समस्यायें मानिकपुर क्षेत्र में प्रारम्भिक वर्षों में थीं उसी प्रकार की समस्यायें एवं परिस्थितियाँ पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विद्यमान हैं।

संस्थान को मिली सफलताओं के आधार पर इन प्रयोगों को पूरे बुन्देलखण्ड में फैलाने हेतु अपने सभी सहयोगी साथियों के साथ मिलकर 5 जिलों के 7 ब्लाकों की 113 ग्राम पंचायतों के 257 गाँवों में पैक्स कार्यक्रम के तहत कार्य प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 3 बिन्दुओं पर कार्य किया जा रहा है – जनपैरवी, महिला सशक्तीकरण एवं पंचायत सशक्तीकरण। जन समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का सहारा लिया जा रहा है जैसे – संगठन निर्माण, क्षमतावृद्धि हेतु अनेक प्रकार के प्रशिक्षण, पत्रकार भ्रमण, जनसुनवाई आदि। कार्यक्रम के मध्य अच्छे अनुभवों एवं कुछ सफल केस अध्ययनों को यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है।

जनसुनवाई- एक अनुकरणीय प्रयास

कहने को तो लोकतंत्र जन तंत्र है किन्तु भारत वर्ष में स्वतन्त्रता के 57 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तन्त्र का ही जन पर प्रभुत्व है। जन का दर्द अभी भी बेदर्द तन्त्र नहीं जानता। तन्त्र, जन पर अपना मालिकाना हक समझता है। जन की पीड़ा, प्रमुख रूप से दीन जनों का दर्द, प्रकाश में आ सके, उसके दर्द से तन्त्र संवेदित हो, संचार संवेदित हो, प्रकाशवान बने, नेतृत्व में चेतना आवे, गरीब लामबन्द हों आदि जनसुनवाई इन सबका एक सशक्त माध्यम है। संस्थान अपने जन्म काल से ही जन सुनवाई के आयोजन करता आ रहा है। इन जनसुनवाइयों में भुक्तभोगी समुदाय, प्रशासन, समाचार पत्र–प्रतिनिधि, संचार के अन्य माध्यम, नेतृत्व जगत के लोग, समय–समय पर साथ–साथ बैठे हैं। इस निरन्तरता के कारण भुक्त भोगियों को समाधान भी मिला है। अब तक के प्रयासों तथा समाधानों ने एक इतिहास रचा है।

जन समस्याओं के समाधान में मीड़िया की अहम भूमिका

जन समस्यायें वहाँ कम होंगी, जहाँ जाग्रत संचार है। मीडिया के कारण आपराधिक प्रवृत्तियाँ अधिक समय तक अपनी अवैध करतूतों का संचालन नहीं कर पाती हैं। शासन, प्रशासन तथा नेतृत्व को जन की समस्याओं से अवगत कराते रहने में मीड़िया की अहम भूमिका है। समाज परिवर्तन में भी संचार ने इतिहास रचा है। इस बड़ी शक्ति का सहारा लेकर जन समस्याओं के पैरोकार जहाँ कहीं भी चले हैं, वह यशस्वी बने हैं। समाज परिवर्तन के दोनो वाहक हैं, इसलिए भी इन्हें परस्पर पूरक होना चाहिए, अभेद रिश्ते होने चाहिए। संस्थान ने अब तक इस शक्ति को अपनी शक्ति मानकर इनको लेकर चलने का प्रयास किया है। इसीलिए तो उल्लेखनीय उपलब्धियाँ साथ हैं।

भूमि विवाद रहित गाँव उल्दना, सोल्दा पहली बार पहुँचे गाँव जिलाधिकारी

● **बुन्देलखण्ड़ सेवा संस्थान मड़ावरा** द्वारा किये गये सर्वेक्षण के बाद ज्ञात हुआ कि 383 परिवार भूमि कब्जे से वंचित हैं। क्षेत्र के 60 परिवार भूमि से सम्बन्धित विवादों से घिरे हैं। चूंकि भूमि का मालिक समाज में सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। वहीं भौमिक अधिकारों से वंचित व्यक्ति या समुदाय गरीब, कमजोर माना जाता है।

मड़ावरा क्षेत्र की अनेक समस्याओं के साथ–साथ भूमि समस्या की ओर मीड़िया तथा प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए क्षेत्र में पत्रकार भ्रमण किये गये। विकास–विचार गोष्ठी, कानूनी शिविर, जनसुनवाई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसके परिणाम स्वरूप मीड़िया तथा प्रशासन का ध्यान क्षेत्रीय समस्याओं की ओर आकृष्ट हुआ। पत्रकारों में विश्वसनीयता के कारण संस्थान द्वारा दी गई समस्याओं का निरन्तर प्रकाशन हुआ। जिला प्रशासन ने संवेदित होकर भूमि माप एवं कब्जा दिलाओ अभियान चलाया। श्री उमेश कुमार मित्तल जिलाधिकारी ने 22 दिसम्बर 2003, को सोल्दा गाँव में राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अन्दर भूमि माप कब्जा अभियान चलाकर सभी वंचितों को कब्जा दिलाया जाए। परिणाम स्वरूप सोल्दा गाँव में 96 परिवारों को 220 एकड़ भूमि में कब्जा दिलाया गया। कार्यक्षेत्र के गिरार, कुर्रट, पिसनारी, धौरीसागर, बड़वार, बम्भौरी खुर्द, आदि गाँव के अनेक परिवारों को भी कब्जा दिलाया गया। समय–समय पर आयोजित जन सुनवाई एवं शिविरों में तत्कालीन उपजिलाधिकारी डा0 अरबिन्द कुमार चौरसिया, उपजिलाधिकारी श्री अटल राय तथा जिलाधिकारी श्री एम0पी0 अग्रवाल ने सहभागिता निभाकर भौमिक अधिकार दिलाने के लिए अभियान चलाया तथा भूमि विवाद निदान दिवसों का आयोजन सुनिश्चित किया गया।

सोल्दा ग्राम में ग्रामीणों की समस्यायें सुनते जिलाधिकारी श्री उमेश कुमार मित्तल

पैक्स कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य क्षेत्र में 13 ग्राम पंचायते हैं जिनमें से एक ग्राम पंचायत उल्दनाखुर्द है। उल्दनाखुर्द ग्राम पंचायत मड़ावरा ब्लाक मुख्यालय से 12 किमी0 दूर जंगल के बीच स्थित है। उल्दानाखुर्द ग्राम पंचायत में 8 राजस्व गाँव है। (1) उल्दानाखुर्द, (2) सोल्दा (3) बन्डवा (4) ठनगना (5) वनगुवा (6) गोंठरा (7) पापड़ा

इस ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 2327 है। महिला 601, पुरुष 667, बालक 557,बालिका 509। इस गाँव में 13 प्रकार की जातियाँ हैं। सहरिया 83 परिवार, गोंड़ 86 परिवार, चमार 52 परिवार, बसोर 14 परिवार, धोबी 4 परिवार, अहीर 170 परिवार, लोहार 5 परिवार, कुशवाहा 57 परिवार, सेन (नाई) 6 परिवार, ब्राम्हण 1, ठाकुर 6, लोधी 10 तथा पाल 2 परिवार हैं। इस गाँव की साक्षरता 12 प्रतिशत (पुरुष 7 प्रतिशत एवं महिला 5 प्रतिशत) है। गाँव का कुल क्षेत्रफल 2846 हेक्टेयर है।

इस ग्राम प्रचायत में जून 2003 के सर्वेक्षण के अनुसार 51 परिवार कब्जे से वंचित थे। ग्रामीणों ने यह जानकारी दी थी। सर्वे के अलावा और कई माध्यमों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ था कि गाँव में लेखपाल कभी नहीं आता। सही तरीके से भूमि नापकर नहीं बतायी गयी। जो ताकतवर हैं वे अपनी दबंगई के बल पर जमीनों में काबिज हैं। ग़रीब डर के मारे कुछ नहीं कर पाते हैं । यह शिकायत पूरी ग्राम पंचायत में थी। इस भूमि माप व कब्जा की समस्या का कारण गाँव में निरक्षरता व जागरूकता का अभाव रहा है। उल्दनाखुर्द ग्राम पंचायत अत्यन्त जंगल के बीच होने के कारण सरकारी कर्मचारी वहाँ नहीं जा पाते हैं। कई बार इस दुर्गम तथा समस्याग्रस्त इलाके में जिलाधिकारी के आने का समय माँगा गया। 10 दिसम्बर 2003 को भी मानवाधिकार दिवस के दिन समय माँगा गया, किन्तु जिलाधिकारी जिला मुख्यालय से दूर मड़ावरा के जंगली गाँव में आने का वक्त नहीं निकाल सके। उल्दना खुर्द ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण जानकारी तथा समस्याओं को संकलित कर एक प्रेस विज्ञप्ति बनाई। अपने परिचित प्रेस वालों को गाँव की स्थित बताई तथा प्रेस विज्ञप्ति दी। झांसी से प्रकाशित दैनिक राष्ट्रबोध समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ में 21.12.2003 को ''भूख से बिलबिलाये सहरिया आदिवासी'' शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई। इस खबर के प्रकाशन के प्रभाव से जिलाधिकारी श्री उमेश कुमार मित्तल (ललितपुर) ने उपजिलाधिकारी महरौनी डा0 अरबिन्द कुमार चौरसिया को सूचित करके क्षेत्र भ्रमण करने के लिए 22 दिसम्बर 2003 का समय सुनिश्चित किया। डा0 अरबिन्द कुमार चौरसिया उपजिलाधिकारी संस्थान कार्यालय मड़ावरा आये। उपजिलाधिकारी के साथ श्री वासुदेव एवं श्री विद्यासागर बाजपेयी सोल्दा गाँव गये। एस0डी0एम0 ने गाँव के लोगों से कहा कि जो भी समस्यायें हैं उनको दो दिन के अन्दर निपटा दिया जायेगा। जिलाधिकारी 22 दिसम्बर को आपके गाँव आना चाहते हैं। ज्यादा शिकायत न करना । इस प्रकार कहकर वह चले गये। इधर वासुदेव जी ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जिलाधिकारी के आने की सूचना आस–पास के गाँवों में पहुँचा दी। उल्दनाखुर्द के ग्रामीणों को अपनी समस्याओं को खुलकर बोलने को प्रोत्साहित किया गया। भूमि, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, शोषण, उत्पीड़न आदि समस्याओं के प्रति सबका ध्यान आकर्षित किया गया। अखबार में प्रकाशित खबर को लखनऊ में भी गम्भीरता से लिया गया। सम्पादक ने इस खबर के बारे में जिला संवाददाता को बताया था। दिनाँक 22.12.2003 को जनपैरवी कार्यक्रम के तहत डी0एम0 के आगमन के पूर्व, टेन्ट, माइक, कुर्सी आदि की व्यवस्था करके विशाल मंच तैयार किया गया। सर्वे के दौरान तथा सर्वे के बाद जन सम्पर्क के दौरान लक्ष्य समूह तथा गाँव के लोगों से सघन सम्पर्क व विश्वास स्थापित हुआ जिससे जो सर्वे में जानकारियाँ व समस्यायें नहीं आ पाईं थी और भी समस्यायें मिली। गरीबी के विरुद्ध जनजागरूकता अभियान में मौलिक अधिकारों को दिलाने में अधिक ध्यान इसलिए दिया गया क्योंकि ग्राम जीवन में भूमि आजीविका का स्थाई आधार है।

मुख्य रूप से सहरिया आदिवासी भूमि विवाद से ग्रस्त थे। वर्षों से एक–दूसरे के जमीन पर काबिज थे। जमीनों का सही सीमांकन नहीं किया गया था। आपसी विवाद भी भूमि जोतने के समय होता रहता था। लेखपाल जब कभी गाँव आता तो गरीब खेतिहारों से नाप व नकल खतौनी देने के नाम पर 20 से 100 रुपये तक वसूलता था, इसके बावजूद भी सही नाप नहीं करता था। गाँव के ग़रीबों को पथरीली भूमि बता दी जाती थी। पथरीली भूमि होने के कारण पट्टेदार निराश थे। ग़रीबों के पट्टे ऐसी जगहों पर किये गये जहाँ सिचाई का साधन नहीं है। भूमि से सम्बन्धित अनेक समस्यायें थीं।

अखबार की खबर से जिलाधिकारी काफी नाराज थे। वासुदेव जी ने ललितपुर जनपद के प्रेस क्लब के अध्यक्ष सहित आधा दर्जन जिला संवाददाताओं को रात में ही टेलीफोन करके आमंत्रित किया था। इसलिए जिला प्रशासन से पहुँचने के पूर्व पत्रकारों का दल पहुँच गया था। जब जिलाधिकारी ने पत्रकारों को तथा क्षेत्रीय ग्रामीणों की बड़ी संख्या को देखा तो काफी चिन्तित दिखे। भारी भीड़ उन्हें अच्छी नहीं लगी।

वासुदेव संचालन कर रहे थे, इसी बीच मंच में बैठने के बाद डी0एम0 श्री उमेश कुमार मित्तल नाराज

मुद्रा में बोले कि आप ही बोलते रहेंगे कि हमें भी बोलने का मौका देंगे। हम सीधे जनता से संवाद करना चाहते हैं। वासुदेव जी ने स्थिति को पहचानकर डी0 एम0 को माइक दे दिया। डी0 एम0 क्षेत्रीय लोगों से बात करने लगे। डी0एम0 ने पूँछा कि क्या समस्या है तत्काल एक साथ गाँव के 50–60 लोग अपनी–अपनी किसान बही लेकर खड़े हो गये तथा भूमि माप व कब्जा की समस्या बताई। डी0एम0 ने पूँछा कि अब तक कब्जा क्यों नहीं मिला, तो ग्रामीणों ने बताया कि लेखपाल कभी नहीं आता, जब कभी आता है तो नाप के बदले पैसा मांगता है। तुरन्त वापिस चला जाता है। डी0एम0 ने पूंछा कि यहाँ का लेखपाल कौन है? मौके में उपस्थित रामबिहारी श्रीवास्वत लेखपाल खड़ा हुआ। भूमि समस्या क्यों ? डी0एम0 ने पूँछा– लेखपाल बोला साहब मुझे एक सप्ताह हुआ इस गाँव का चार्ज सम्भाले। अब तक कितनी बार इस गाँव मे आये? लेखपाल ने कहा कि आज ही आया हूँ। उत्तर सुनकर डी0एम0ने लेखपाल का बस्ता रखवा लिया। इसी प्रकार छात्रवृत्ति वितरण में पैसा काटने पर शिक्षक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही तथा पैसा वापिस करने का निर्देश दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सस्याओं की स्थिति समझकर डी0एम0 ने एक सप्ताह के अन्दर पूरी ग्राम पंचायत की भूमि नापकर कब्जा दिलाने का निर्देश दिया। 7–8 लेखपालों की एक टीम कानूनगो (राजस्व निरीक्षक) के नेतृत्व में बनाई गई। कड़ाके की ठंड में भूमि नाप अभियान चला। चँकि भूमि नापने में काफी समय लगता है इसलिए 15 दिन के अन्दर जमीन नापी गई। 96 परिवरों को उनकी भूमि ठीक प्रकार से नापकर कब्जा दिया गया। ठीक से नाप होने के कारण आपसी भूमि विवाद दूर हुआ। ग्रामीणों की आपसी बुराई दूर हुई। लेखपालों ने पूरी ईमानदारी के साथ नाप किया, कोई पैसा वसूल नहीं किया। इस कार्यक्रम में भूमि नाप अभियान चलाने में थानाध्यक्ष मदनपुर को भी नाप के समय रहने का निर्देश दिया गया था। डी0एम0 ने कहा कि यदि कोई दबंग ग़रीब की जमीन नहीं छोड़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

जिलाधिकारी उमेश कुमार मित्तल ने प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन में आने का आश्वासन मंच से दिया। संस्थान के कार्यों की सराहना की तथा एक गोंड़ आदिवासी डी0एम0 को देखने आया था जो क्षेत्र का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था डी0एम0 के माध्यम से उसको सम्मानित करवाया गया। इस गाँव में विगत दस वर्षों से कोई डी0एम0 नहीं गया था।

इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। इस जंगली गाँव में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम था। क्षेत्रीय जनता में समस्याओं के प्रति चेतना का वातावरण बना। उनका अन्याय के विरूद्ध मुँह खोलने का साहस जगा। सरकारी एवं गैरसरकारी लोगों के विरुद्ध शिकायत करने की शुरूआत हुई। कब्जा प्राप्त पट्टेदारों की कुछ केस स्टडी यहाँ प्रस्तुत हैं।

केस स्टडी नं0 1 –

अनन्दी पुत्र बूदे, कैशालरानी पत्नी अनन्दी जाति सहरिया आदिवासी ग्राम सोल्दा के निवासी हैं। 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। भूमिहीन होने के कारण इनको दस वर्ष पूर्व 1404 सन सफली में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामरानी सहरिया द्वारा पट्टा किया गया था। भूमि नं0 80/12/9 में 1.611 हेक्टेयर का पट्टा था। लेखपाल द्वारा नापकर नहीं बताया गया था। मेहनत मजदूरी पर आश्रित रहने वाले परिवार खेती पर रुचि नहीं रखते थे। यहाँ की अधिकांश जमीन बंजर पड़ी थी।

जब पिछले वर्ष दिसम्बर 2003 एवं जनवरी 2004 में भूमिमाप कर ठीक से बता दी गई तब से खेती के प्रति रुचि जगी है। अपने खेत में फसल (खरीफ की) बोई है। उर्द बोया है। जंगल के पास खेत है। सिंचाई का साधन न होने के कारण रबी की फसल नहीं बोई गई।

जमीन में कब्जा हो गया है खेत का मालिक बनने का भाव जगा है। उत्साह भी है किन्तु उत्पादन नहीं मिल रहा है। मेहनत, मजदूरी तथा जंगल के उत्पाद बेल, तेन्दूपत्ता, अचार, महुआ आदि को इकट्ठा करते हैं। स्थानीय व्यापारियों को सस्ते दर पर बेंचते हैं। जरूरत की चीजें खरीदते हैं।

अनन्दी का कहना है कि यदि सिंचाई का साधन हो जावे तो खेत से दोनो मौसम की फसलें खरीफ

व रबी की बोई जा सकती हैं। आर्थिक स्थिति जल्दी सुधर जायेगी।

केस स्टडी नं0 2 –

अजुद्दी पुत्र गोरेलाल , पार्वती पत्नी अजुद्दी ग्राम–सोल्दा के निवासी, जाति सहरिया आदिवासी हैं। इनको भी 1404 सन फसली में पट्टा हुआ था। भूमि नं0 137/3, 139/3/3 कुल 2 नम्बरों में 1.678 हेक्टे0 जमीन में ठीक प्रकार से कब्जा नहीं था, अधूरा कब्जा था। इस जमीन पर पास के गाँव सकरा के रतीराम यादव का अवैध कब्जा था। भूमि माप अभियान के दौरान रतीराम ने कब्जा छोड़ दिया है। इस वर्ष इस जमीन में आधी भूमि में गेहूँ बोया है। यहाँ बीज, खाद, सिचाई के लिए पम्पिंग सेट, डीजल आदि बहुत महंगा है। उत्पादन से ज्यादा खर्ज हो जाता है। अजुद्दी ने बताया कि बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान मड़ावरा द्वारा सहयोग प्रदान करने के कारण जमीन मिल गई है। अन्त्योदय राशन कार्ड बन गये हैं, अनेक प्रकार की जानकारियाँ मिल रही हैं। हिम्मत जगी है। सुविधानुसार मक्का, उडद, तिल, मूंग, ज्वार, चना, गेहँ आदि की फसल बोने लगे हैं।

केस स्टडी नं0 3 –

अजुद्दी पुत्र खिलान, वेतारानी पत्नी अजुद्दी, ग्राम सोल्दा के निवासी, जाति सहरिया आदिवासी हैं। इनके तीन लड़के एवं एक लड़की है। भूमि नं0 49/18/1, 80/2/4 कुल 1.396 हेक्टेयर का पट्टा किया गया था। पट्टा तो कर दिया गया था किन्तु मौके पर जाकर भूमि नहीं बताई गई थी, सिर्फ मेहनत मजदूरी पर आश्रित थे। वर्ष 2003 दिसम्बर में भूमि माप कब्जा के बाद खेत में फसल बोई है। इस वर्ष उर्द व चना बोया गया है। फसल अच्छी है। रात–रात जागकर फसल की रखवाली करनी पड़ती है। अजुद्दी सपरिवार प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं। उनको खेती मिलना, शोषण उत्पीड़न से मुक्ति, अन्त्योदय राशन कार्ड बनना, कलेक्टर का गाँव में आना, सुनवाई करना आदि बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान की देन मानते हैं। संस्थान की सराहना करते हैं। उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने की ललक जगी है।

केस स्टडी नं0 4 –

पिट्टा (टेढ़ा) पुत्र गनेश सहरिया ग्राम टपरियन (बड़वार) के निवासी हैं। पिट्टा के कुल तीन बच्चे हैं। इस परिवार का पालन–पोषण, मेहनत–मजदूरी तथा जंलग से लघु वन उपज बीन–बेंचकर होता है। इनका पट्टा वर्ष 2002 में भूमि रकबा 4 एकड़ का किया गया था किन्तु नापकर नहीं बताया गया था। इस जमीन में बड़वार गाँव के नन्हें भाई कुम्हार का कब्जा था। पिट्टा ने बताया कि संस्थान कार्यकर्ता एवं गिरार थाने की पुलिस व लेखपाल द्वारा जुलाई 2004 में ठीक से नापकर ज़मीन बताई गई है, तबसे अपनी ज़मीन में काबिज हैं। खरीफ की फसल में 50 किग्रा0 उर्द पैदा हुआ है। रबी की फसल मे मसूर बोया है। खेत में अच्छी फसल है। मसूर बेंचकर गेहूँ खरीद लेंगे जिससे परिवार को खाने के लिए होगा। पिट्टा एवं उसका परिवार खुश है।

केस स्टडी नं0 5 –

मल्ला पुत्र भूरा सहरिया ग्राम टपरियन (बड़वार) का मूल निवासी है। मल्ला के आठ बच्चे हैं। रहने के लिए केवल एक झोपड़ीनुमा घर है। इस परिवार का पालन–पोषण मेहनत मजदूरी एवं बन उपज बीन–बेंचकर होता है। इनका पट्टा 4.68 एकड़ का 25 वर्ष पूर्व हुआ था किन्तु लेखपाल की मनमानी के चलते इनका पट्टा पथरीली भूमि पर नापकर बता दिया गया था। मल्ला ने वहां पर कब्जा नही किया था, किन्तु लगातार अपनी भूमि अपने नं0 में चाहने की इच्छा मन में थी। 4 नवम्बर 2003, को संस्थान द्वारा आयोजि कार्यक्रम में मल्ला ने अपना प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी महरौनी को दिया था। उपजिलाधिकारी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। पाया गया कि जहाँ पर मल्ला का पट्टा था उस ज़मीन पर जसरथ पुत्र शिवलाल बुनकर ग्राम बड़वार का कब्जा है और उसने गेहूँ बो रखा है। उपजिलाधिकारी ने संस्थान के प्रयास से मल्ला को खड़ी फसल गेहूँ काटने को आदेशित किया और शिवलाल को ज़मीन छोड़ने को कहा तथा कड़ी फटकार लगाकर थाने में गिरफ्तार कराया। नवम्बर 2003, से मल्ला अपनी भूमि पर काबिज है। गेहूँ की फसल मल्ला को प्राप्त हुई है। इस वर्ष 2 कुन्तल ज्वार पैदा हुई है। आधी खेती में मटर व चला बोया है। अब मल्ला का परिवार खुशी मन से खेती कर रहा है। कृषि योग्य उपयोगी भूमि है।

साहस की जीत

● दो वर्षों की लम्बी लड़ाई के बाद सौंरईवारी को गरीबी दूर करने के हथियार स्वरूप उसे उसकी जमीन मिल पाई है। ललितपुर जिले के मड़ावरा ब्लाक की ग्राम पंचायत गिरार में सहरिया आदिवासियों की एक उपेक्षित बस्ती है, जिसमें लगभग 25 परिवार रहते हैं। इन्हीं परिवारों में से कोमल सहरिया का परिवार भी है। कोमल परिवार का मुखिया था। वह अपने माँ–बाप, पत्नी एवं बच्चों के भरण–पोषण के लिए मेहनत–मजदूरी करके जीने का प्रयास कर रहा था। आस–पास के पत्थर खदानों तथा बड़े किसानों के यहाँ प्रायः काम मिल जाता था, जिस दिन काम नहीं मिलता था उसदिन निराश घर बैठना कोमल की मजबूरी होती थी। कभी–कभी जंगल की सूखी लकड़ी बीन लाते। पत्नी पास के घरों में जाती, लकड़ी बेंचती उसके बदले आटा या अनाज लाती, तब कहीं पेट की आग परिवार बुझा पाता था। ग़रीबी के दिन थे ही कि बुखार के साथ कोमल की छाती में दर्द उठ खड़ा हुआ। दवा के अभाव में कोमल हमेशा–हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। अपने पीछे छोड़ गया बूढे माँ–बाप, विधवा पत्नी और चार बच्चे। पत्नी सौंरईवारी का जीवन और दुखद हो गया।

15 किमी0 दूर सौंरई गाँव में उसका मायका है। ससुराल में आदिवासी महिलाओं को उसके मायके के नाम से पुकारने का रिवाज़ होने के कारण सभी उसे सौंरईवारी ही कहते हैं। कोमल के पास थोड़ी सी ज़मीन थी उसको वह गाँव के भबूदा पुत्र फद्दू को बटाई पर देता था, उससे थोड़ा अनाज मिल जाता था। किन्तु जब कोमल की अचानक मौत हो गई तो भबूदा ने खेती से अनाज देना बन्द कर दिया। असहाय सौंरईवारी जब भी अपने खेत की चर्चा करती, भबूदा उसे जान से मारने की धमकी देता। कोमल की पत्नी अपने बच्चों की तरफ देखकर सहम जाती और चुप हो जाती। बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान शाखा–मड़ावरा द्वारा जब मई जून, 2003 में इस गाँव का सर्वेक्षण किया गया था, तब भी सौंरईवारी ने यह समस्या नहीं बताई थी। धीरे–धीरे स्वयं सहायता समूह गठन, प्रशिक्षण, बैठकों आदि से गाँव से गहरा रिस्ता स्थापित हुआ। तब यह समस्या सौंरईवारी ने संस्थान कार्यकर्ताओं को बताई कि भबूदा नामक दबंग का मेरी ज़मीन पर जबरन कब्जा है।

सौंरईवारी तथा नाबालिग बच्चे भगवानदास उम्र 5 वर्ष व पुरषोत्तमदास उम्र 6 वर्ष के नाम किसान बही खाता खतौनी संख्या 163 असंक्रमणीय भूमिधर सन फसली 1394, 566/13, 3.74 एकड़ भूमि मालगुज़ारी, 12.45 रुपये, असिंचित मोटी ज़मीन का विवरण अंकित है। कागज के पुष्ट प्रमाण होने के बावजूद भी दबंग से कब्ज़ा नहीं मिल पा रहा था। दबंग की धमकी से निजात दिलाना आदिवासी समूह के बस में नहीं है। हालांकि सौंरईवारी ज़मीन पाने की हिम्मत जुटाने लगी थी।

4 नवम्बर 2003 को **बुन्देखण्ड सेवा संस्थान, शाखा–मड़ावरा** द्वारा आयोजित जनसुनवाई में सौंरईवारी ने उपजिलाधिकारी डा0 अरबिन्द कुमार चौरसिया को लिखित प्रार्थना पत्र देकर ज़मीन दिलाने की माँग की। पुनः 22 दिसम्बर 2003, को संस्थान द्वारा आयोजित जनसुनवाई ग्राम सोल्दा में जिलाधिकारी ललितपुर श्री उमेश कुमार मित्तल को प्रार्थना पत्र दिया। तीसरी बार संस्थान द्वारा आयोजित जनसुनवाई ग्राम बड़वार में 29 जनवरी 2004 को उपजिलाधिकारी को भी प्रार्थना पत्र दिया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। संस्थान द्वारा निरन्तर प्रयास एवं खोज–खबर का कार्य जारी रहा । अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा पाने की ललक सौंरईवारी में जीवित थी। किन्तु ग़रीबी, निरक्षरता और भय के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तहसील व जिला मुख्यालय तक किराया लगाकर जाना कठिन था।

श्री महेन्द्र प्रसाद अग्रवाल जिलाधिकारी ललितपुर ने जनपद में भूमि विवाद निपटाने की दृष्टि से प्रत्येक शनिवार को ''भूमि विवाद निपटारा दिवस'' के आयोजन का निर्देश दिया था। 16 जुलाई 2004 के निर्णयानुसार

जिले में राजस्व एवं पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से कब्ज़े से वंचित लोगों की भूमि मौके में लेखपाल जाकर नापता था। पुलिस साथ में रहती थी जिससे दबंग लोग भयभीत रहते थे। लेखपाल की अनुपस्थिति व उपेक्षा के कारण सौंरईवारी ज़मीन में कब्ज़ा नहीं पा सकी। यह अभियान भी उसके लिए निरर्थक रहा।

मड़ावरा क्षेत्र में मौलिक अधिकारों से वंचित ऐसे कई परिवार हैं जो राजस्व विभाग की उदासीनता के चलते अपनी ज़मीनों में कब्ज़ा नहीं पा सके। मड़ावरा जिला मुख्यालय से सर्वाधिक दूर है जिससे जिले के अधिकारियों को सही स्थिति का पता नहीं चल पाता है।

मई, जून में ही भूमिमाप अभियान चलाने का अच्छा अवसर होता है। बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान ने जिलाधिकारी सुश्री संयुक्ता संमद्दार को 250 परिवारों की सूची सौंपकर भूमि में कब्जा दिलाने की फिर माँग की। जिलाधिकारी ने जनपद में पंचायत थाना दिवस का आयोजन करने का निर्देश दिया जिससे राजस्व अधिकारी, लेखपाल, पुलिस तथा समस्याग्रस्त ग्रामीण थाने में उपस्थिति होंगे और समस्या सुनकर विवाद निपटाया जायेगा, मौके पर जाकर कब्ज़ा दिलाया जायेगा।

जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के प्रत्येक थाने में शनिवार के दिन समस्या ग्रस्त लोग उपस्थित होते हैं। इसी क्रम में 15 जून 2005 सौरईवारी ने उपजिलाधिकारी श्री एस0पी0सिंह के पास महरौनी तहसील जाकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया। पत्र में एस0डी0एम0 ने लेखपाल को निर्देश दिया और सौंरईवारी से कहा कि थाना पंचायत दिवस के दिन गिरार थाने जाकर लेखपाल को यह पत्र दे देना। सौंरईवारी ने वैसा ही किया। 20 जून 2005 सूरज नया सवेरा लेकर आया। लेखपाल ने ज़मीन नापकर सौंरईवारी को कब्ज़ा दिला दिया। उसकी खुशी का ठिकाना न था। अब उसके पास 3.74 एकड़ का भू–भाग था। बरसात शुरु होते ही सौंरईवारी ने अपनी जमीन में मक्का, उड़द, ज्वार और अरहर बो दिया है। जिन्दगी की पहली सुखद अनुभूति सौंरईवारी को मिली। वह अपने खेत की रखवाली कर रही है। लकड़ी बेंचने का धन्धा छोड़ दिया है। मक्का, उड़द की फसल घर आ गई है। उसका विश्वास है कि फसल से अब उसका गुजारा हो जायेगा। वह अब अपने बच्चों को साफ–सुथरा रखेगी, ठीक से रोटी खिलायेगी, स्कूल भेजेगी। दबंगों के उत्पीड़न से मुक्ति मिली है। वह संस्थान को निरन्तर सूचनायें देने का काम करती है। उसके जीवन में उत्साह साफ दिख रहा है। सहरिया बस्ती के ग़रीबों में एक जुटता आई है। दबंगों का मनोबल कमजोर हुआ है। कास सौंरईवारी की ही तरह अपनी भूमि से वंचित अन्य ग़रीब भी हिम्मत करके अपनी भूमि पा लें।

दो वर्षों की लम्बी लड़ाई के बाद सौंरईवारी को ग़रीबी दूर करने के हथियार स्वरूप उसे उसकी ज़मीन मिल पाई।

जीविका का स्थायी आधार भूमि, मजदूर बने मालिक

● मानव जीवन की शुरूआत प्रकृति की गोद से हुई है। पाषाणकाल से लगाकर भौतिक युग तक जहाँ एक ओर संसाधनों की वृद्धि हुई है वहीं मानव संसाधन की वृद्धि से सरकारी विकास बौना सिद्ध हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि विकाशशील देश भारत के लिए अभिशाप है। ग़रीबी निरन्तर बढ़ रही है। सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में सबको रोजगार मिलना असम्भव है। देश की 75 प्रतिशत आबादी आज भी गाँवों में बसती है। गाँव की ज़िन्दगी बसर करने के लिए गाँवों में ही जीविका के अवसर तलाशने होंगे।

पैक्स कार्यक्रम के तहत जीविका के प्रमुख संसाधन जल, जंगल व ज़मीन को ग़रीब आदिवासी, समुदाय तक पहुँचाने हेतु सार्थक पहल की गई। **बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान मड़ावरा** द्वारा वर्ष 2003 मई, जून सर्वेक्षण के आधार पर 13 ग्राम पंचायतों के 2000 परिवारों के बीच किये गये सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ था कि 383 परिवार कब्ज़ा से वंचित हैं। इन परिवारों में से अधिकांश परिवार सहरिया आदिवासी एवं अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के थे। संस्थान के द्वारा जन सुनवाई शिविर व सम्मेलनों के दौरान भूमि अधिकारों से संबंधित मुद्दे प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से उठाये गये। कब्ज़ा से वंचित परिवारों को प्रेरित किया गया तथा संस्थान द्वारा सूचियाँ बनाकर प्रशासन को समय–समय पर सौंपा गया। समाचार पत्रों को भी भूमि समस्या से अवगत कराया गया। समाचार पत्रों के प्रकाशन से जिला प्रशासन को अपनी नीतियों में भौमिक अधिकारों को दिलाने की प्राथमिकता दी गई। वर्ष 2003–2004 में तत्कालीन जिलाधिकारी श्री उमेश कुमार मित्तल, श्री एम0पी0 अग्रवाल ने भूमि विवाद निदान दिवस सम्पूर्ण ललितपुर जनपद में चलाया। प्रत्येक थाने में शनिवार के दिन पुलिस अधिकारी व राजस्व अधिकारी, लेखपाल उपस्थित रहते थे। समस्याग्रस्त लोग भूमि समस्या लेकर आते थे। समस्या को समझकर मौके पर लेखपालों की टीम जाकर ज़मीन नापकर कब्ज़ा देती थी। अवैध कब्ज़ा धारकों को ज़मीन छोड़ने के शक्त निर्देश दिये जाते थे। 2004–2005 में जिलाधिकारी सुश्री संयुक्ता समद्दार को भी जब बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान ने मड़ावरा क्षेत्र की भूमि समस्या से अवगत कराया तो उन्होनें भी उपजिलाधिकारी महरौनी श्री एस0पी0सिंह को भूमि समस्या समाधान के निर्देश दिये। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत थाना दिवसों के आयोजन का निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिया।

ज़मीन जीवन जीने का स्थाई आधार है। ग़रीब को यदि ज़मीन का थोड़ा भी टुकड़ा मिल जाता है तो वह परिवार सहित उसमें रमने, बसने, जीने का मार्ग खोजता है। ग़रीबी से निज़ात पाना है, ग़रीब को राहत देनी है तो प्रथम प्रयास के रूप में उसे ज़मीन से जोड़ने का प्रयास करना सर्वाधिक फलदायी होगा।

संस्थान की भूमिका

उत्तर प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा आयोजित भूमि विवाद निदान दिवस एवं पंचायत थाना दिवसों का लाभ लेने के लिए संस्थान ने क्षेत्र के गिगार पुलिस थाना, मदनपुर एवं मड़ावरा थाने में बैनर बनवाकर क्षेत्रीय लोगों से इन दिवसों में प्रत्येक शनिवार को आने की अपील की। संस्थान कार्यकर्ताओं द्वारा गाँव–गाँव में जाकर भूमि कब्ज़ा से वंचित लोगों की सूची बनाई गई फिर प्रत्येक शनिवार को आने के लिए प्रेरित किया गया। संस्थान कार्यकर्ता स्वयं थाने में तथा भूमि नाप के समय उपस्थित रहते थे। मड़ावरा के तीनों पुलिस थाने दबंगों के प्रभाव में रहे हैं, आज भी हैं, किन्तु जिलाधिकारी के शक्त निर्देश के तहत पुलिस ग़रीबों के प्रति थोड़ा संवेदित हुई है। संस्थान भी निरन्तर ग़रीब के पक्ष में मदद करने का वातावरण बनाता रहा। भुक्त भोगियों की पुलिस से भेंट थाने में कराता था। मदनपुर एवं मड़ावरा थाने में ठीक ढंग से काम नहीं हुआ। गिरार थाने में ज्यादा सफलता मिली। जिला प्रशासन की नीतियों का निरन्तर लाभ लेने के प्रयास किये गये। दो वर्षों में

अप्रैल 2003 से मार्च 2005 तक अपने कार्यक्षेत्र के 242 परिवारों को 574.78 एकड़ जमीन पर भौमिक अधिकार दिलाये गये हैं। सरकारी मानक के अनुसार इस भूमि का मूल्य रु0 2,87,39,000,00 (दो करोड़ सत्तासी लाख उन्तालिस हजार रूपये) होता है।

भौमिक अधिकार मिलने से ग़रीब आदिवासी परिवारों में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा वापस मिली है साथ ही उनको मजूदर से मालिक बनने का मौका मिला। उनकी अपनी भूमि अब जीविका का स्थाई सशक्त आधार बन चुकी है। गिगार की श्रीमती सौंरईवारी सहरिया जैसी अनेक महिलायें जो सिर्फ जंगल की लकड़ी बेंचकर जीवन–यापन करती थीं, दबंगों व वन विभाग की उत्पीड़न का शिकार होती थीं। आज वह स्वतन्त्र जीवन जी रही हैं। इसी प्रकार बड़वार, जैतूपुरा, कुर्रट, उल्दनाखुर्द, धौरीसागर, जलन्धर, नीमखेड़ा, खदरी, दिदौनियाँ, दारूतला, सौंरई, पिसनारी, गिरार, जैसे गाँव के ग़रीब परिवार भौमिक अधिकार पा चुके हैं। सहरिया आदिवासी परिवारों की कुछ जमीने पथरीली हैं, कुछ जमीने अच्छी हैं। अच्छी जमीनों में किराये का ट्रैक्टर लेकर फसल बोते हैं। खरीफ फसल ज्यादा बोते हैं जैसे ज्वार, उड़द, धान, आदि, क्योंकि सिंचाई का साधन गरीबों के खेतों में नहीं है। कुछ परिवार अपने हल बैल से खेती करते हैं। ग्राम बड़वार की चम्माबाई सहरिया ने भी अपने खेत से अपनी जीविका का स्थाई हल खोज लिया है। बंडई नदी के किनारे उसका खेत है उससे सिचाईं करके गेहूँ पैदा करने लगी है।

थाना पंचायत दिवसों में कुल 108 परिवारों को भौमिक अधिकार मिला, उनकी ज़मीनों में कब्ज़ा मिला। 108 परिवारों की 232 एकड़ जमीन का मूल्य रु0 1,16,00,000 (एक करोड़ सोलह लाख रुपये) होता है। भूमि कब्ज़ा प्राप्त परिवारों का विवरण निम्नवत् है :–

भूमि विवाद दिवस रविवार को आयोजित न किये जाएं

ललितपुर : जिला लेखपाल संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर भूमि विवाद निस्तारण दिवस रविवार को आयोजित न करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान समय में लेखपालों द्वारा खतौनी बनाने व उनकी जांच, खसरा तैयार करने, क्राफ्ट कटिंग, टी.आर.एस.में आये गांवों में नम्बरों को चयनित करने, खरीफ पड़ताल, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण, आय, जाति प्रमाण पत्र आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। लेखपालों को सप्ताह में मंगलवार को जनता दिवस, शुक्रवार को तहसील दिवस, शनिवार व रविवार को भूमि विवाद निस्तारण दिवस में उपस्थित होना पड़ रहा है। सप्ताह में मात्र तीन दिन ही कार्य करने को शेष बचते हैं। इसमें उपरोक्त समस्त कार्य सम्पादित होना संभव नहीं है।

लेखपाल संघ ने बताया कि राजस्व कर्मचारी अल्प भोगी कर्मी हैं। परिवार के दायित्वों का निर्वाह भी उन्हीं के कंधों पर है। शासन द्वारा क्षेत्रीय कर्मचारियों को रविवार का अवकाश अनुमन्य किया गया है। रविवार के अवकाश को प्रतिबंधित करने से लेखपालों के समक्ष पारिवारिक समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अतः भूमि विवाद निस्तारण दिवस रविवार के दिन आयोजित न किया जाए। इस ज्ञापन पर जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के हस्ताक्षर बताये गए हैं।

करने लगे खेती पूरन, रघुवीर

● गिगार ग्राम पंचायत में रघुवीर पुत्र रम्पू सहरिया को 2 एकड़ जमीन में कब्जा मिल गया है। पहली बार उसने अपने खेत में ज्वार, तिल, एवं अरहर बोई है। रघुवीर ने बताया कि अब तक गाँव के दबंगों के कारण लेखपाल ज़मीन नापकर नहीं बताता था। लेखपाल कभी सहरिया आदिवासियों की सुनाई नहीं करता था। किन्तु इस बार संस्थान के प्रयास तथा थाना पंचायत दिवस के दिन सुनवाई हुई। लेखपाल ने जमीन नापकर बताया, अब खेत को जोत कर 2 एकड़ जमीन में ज्वार, तिल व अरहर बोई है। अब अपने खेत की रखवाली में रहता हूँ। इसके पहले मेहनत मजदूरी करता था। गाँव के बाहर ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, सागर, भोपाल काम करने जाता था। बच्चों सहित जाता था तो बच्चे पढ़–लिख नहीं पाते थे। अब गाँव में ही रुकेंगे। किसान बही में दर्ज 566/25 नं0 भूमि पर कब्जा रघुवीर की जिन्दगी की सबसे बड़ी खुशी है। पहले जब बड़े किसानों की मजदूरी के लिए जाते थे तो 25 रु0 या 5 किलो अनाज मिलता था। काम न करने पर दबंगों की मारपीट सहनी पड़ती थी। अब कुछ आजादी मिली है। इसी प्रकार पूरन लाल पुत्र श्यामलाल सहरिया को 2 एकड़ जमीन में कब्जा मिल गया है। पूरन लाल ने अपने खेत में चना बोया है। पूरन कहता है जबसे बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान क्षेत्र में आया है तबसे सरकारी कर्मचारी डरने लगे हैं।

भूमि कब्जा प्राप्त परिवारों की सूची

क्र0	नाम	पिता का नाम	जाति	गाँव	रकबा	दिनांक
1	ऊदल	नन्ना	सहरिया	पिसनारी	4.68 एकड़	जनसुनवाई 5.8.03 के बाद
2.	रामप्रसाद	नन्ना	,,	,,	4.68 एकड़	
3.	बलुआ	नन्ना	,,	,,	2.68 एकड़	
4.	रम्मा	अमान	,,	,,	4.68 एकड़	
5.	गयादीन	बसोरे	,,	,,	4.68 एकड़	
6.	सिल्ला	खरगा	,,	,,	4.68 एकड़	
7.	रामा	खरगा	,,	,,	4.68 एकड़	
8.	अर्जुन	साधू	,,	,,	3.68 एकड़	
9	पप्पू	सुन्दर	,,	,,	3.68 एकड़	
10.	मत्था	धेगज्जा	चमार	,,	2.68 एकड़	
11	अड़कू	भगज्जा	,,	,,	2.68 एकड़	
12	गनेशा	पन्ना	,,	,,	3.00 एकड़	
13.	बलुआ	अड़कुवा	,,	,,	4.68 एकड़	
14.	गोला	अड़कुवा	,,	,,	4.68 एकड	
15.	दरुआ	गुलाब	सहरिया	सौंरई	2.20 एकड़	20 दि0 03 जन सम्मेलन के बाद
16.	पुल्लू	बाबू	,,	,,	3.75 एकड़	
17.	हजारी	जालम	,,	,,	3.75 एकड़	
18.	बडजई	भोले	,,	,,	2.50 एकड़	
19.	प्रिबू	मियां	,,	,,	4.68 एकड़	
20.	रामचरण	प्रभा	,,	,,	2.25 एकड़	
21.	छोटे	केशरिया	,,	,,	1.25 एकड़	
22.	हल्ले	दमरू	,,	,,	1.25 एकड़	
23.	कूरा	दमरू	,,	उल्दनाखुर्द	1.00 एकड़	दि0, 03
24.	गनपत	बिन्दे	,,	,,	1.00 एकड़	
25.	हल्लू	रग्गे	,,	,,	2.00 एकड़	
26.	मोहन	मुल्ले	,,	,,	2.00 एकड़	
27.	सुखलाल	मुन्नी	,,	,,	1.00 एकड़	
28.	गल्ले	हीरालाल	यादव	,,	5.00 एकड़	
29.	सूरज (बाबू)	नन्ने	,,	,,	1.00 एकड़	
30.	गनू	हरी	सहरिया	,,	1.00 एकड़	
31.	मुन्ना	बिहारी	सहरिया	उल्दनाखुर्द	3.00 एकड़	
32.	लम्पू	बिहारी	,,	,,	3.00 एकड़	

क्र0	नाम	पिता का नाम	जाति	गाँव	रकबा	दिनांक
33.	चुन्नी	बिहारी	''	''	3.00 एकड़	
34.	चरण	कन्जी	''	''	3.00 एकड़	
35.	हरीचरण	कन्जी	''	''	3.00 एकड़	
36.	हिम्मा	बन्शी	''	''	5.00 एकड़	
37.	जालम	खलका	चमार	''	2.50 एकड	
38.	हलकाई	किशोरा	बसोर	''	4.50 एकड़	
39	नारायण	जंगी	यादव	''	4.68 एकड़	
40.		देवी	''	''	4.68 एकड़	
41.	पूरन	अजुद्दी	सेन	''	2.00 एकड़	
42	खलका	जसरथ	कुशवाहा	''	2.00 एकड़	
43.	सूका	घन्सू	''	''	2.00 एकड़	
44.	मुरोरा	कूरे	बसोर	''	2.75 एकड़	
45	कूरा	हिरऊ	चमार	''	4.68 एकड़	
46.	जसुरा	खिन्ते	''	''	3.00 एकड़	
47.	पुनिया	मरदन	''	''	2.00 एकड़	
48	खलका	फुल्ला	''	''	3.00 एकड़	
49.	रामदयाल	परसादी	बसोर	''	2.50 एकड़	
50.	भागीरथ	भूरा	''	''	1.50 एकड़	
51.	नन्दू	निरमू	कुशवाहा	''	3.00 एकड़	
52.	किशोरा	प्यारेलाल	''	''	2.00 एकड़	
53.	अजुद्दी	किशोरा	बसोर	''	4.50 एकड़	
54.	रत्ना	मनका	चमार	''	2.42 एकड़	
55.	कल्लू	कन्जी	सहरिया	''	3.00 एकड़	
56.	घूमन	कन्जी	''	''	3.00 एकड़	
57.	मुन्ना	फुलू	''	''	0.50 एकड़	
58.	बुद्दे	पुन्ने	''	''	3.00 एकड़	
59.	टुन्नू	जालम	''	''	4.00 एकड़	
60.	अजुद्दी, धीरा भजुवा, खितैयां	किशोरी	बसोर	''	8.05 एकड़	23 दि0 ,03 जनसुनवाई के बाद
61.	प्रीतम,मुन्ना	फुलू	सहरिया	सोल्दा	3.31 एकड़	
62.	बुद्दे	पुन्ने	''	''	3.31 एकड़	
63.	कृपाराम	भैरम	यादव	''	1.214 हे0	
64.	रत्ना	मनका	चमार	''	0.202 हे0	
65.	गुलाबरानी	देशराज	यादव	उल्दना	2.42 एकड़	
66.	अवतार	शिवदयाल	यादव	उल्दना	1.00 एकड़	
67.	काशीराम	गोरेलाल	''	''	0.76 एकड़	
68.	रामसिंह	गोरेलाल	''	सोल्दा	0.50 एकड़	
69.	बलू, गुन्दी	रमले	सहरिया	''	0.50 एकड़	
70.	फूलसिंह	मोहन	''	''	4.68 एकड़	

क्र0	नाम	पिता का नाम	जाति	गाँव	रकबा	दिनांक
71.	राजवीर	खिलान	''	''	1.98 एकड़	
72.	विजयराम	खलका	यादव	उल्दना	0.405 हे0	
73	कैलाश	खक्का	चमार	''	0.232 हे0	
74.	जालम	भरजाड़ी	कुशवाहा	''	0.609 हे0	
75.	नन्दू	नीरव	''	''	2.10 एकड़	
76.	मनोहर	नन्दलाल	''	''	1.00 एकड़	
77.	किशोरी	प्यारे	''	''	1.00 एकड़	
78.	नन्दराम	कल्लू	विश्वकर्मा	''	1.00 एकड़	
79.	रमला	मुल्ला	सहरिया	''	4.68 एकड़	
80.	गुलाब	भदई	कुशवाहा	''	4.68 एकड़	
81.	गनेश	कन्जी	सहरिया	सोल्दा	2.50 एकड़	
82.	मुन्ना	फुलू	''	''	0.50 एकड़	
83.	रमला	उमराव	चमार	बारई	4.68 एकड़	
84	माधवसिंह	महादेवसिंह	गोंड़	पापड़ा	0.223 हे0	
85.	मोहर सिंह	महोदेवसिह	''	''	0.182 हे0	
86.	भुजबल	आशाराम	''	''	0.777 हे0	
87	गोरेलाल	आशाराम	''	''	0.338 हे0	
88.	अनन्दी, कैलाशरानी	बुद्दे अनन्दी	सहरिया	सोल्दा	1.611 हे0	
89.	अजुद्दी पार्वती	गोरेलाल अजुद्दी	''	''	1.678 हे0	
90.	अजुद्दी बेतारनी	गोरेलाल अजुद्दी	''	''	1.396 हे0	
91.	आशाराम	हरजू	कुशवाहा	उल्दनाखुर्द	0.507 हे0	
92.	उत्तम	धनुवा	''	''	0.607 हे0	
93.	ऊधम	ढलू	सहरिया	सोल्दा	1.590 हे0	
94.	कल्लू	कुन्जी	''	''	0.809 हे0	
95.	कृपाराम	भैरम	यादव	''	1.391 हे0	
96.	करन	चुनुवा	काछी	''	1.607 हे0	
97.	कैलाश	खलका	चमार	उल्दना	0.607 हे0	
98.	काशीराम	कूरा	सहरिया	सोल्दा	1.214 हे0	
99.	गम्पू	कनछेदी	काछी	उल्दना	0.607 हे0	
100	गोकन	बब्बू	सहरिया	सो'ल्दा	0.943 हे0	
101	घूमन	कुन्जी	सहरिया	सोल्दा	1.335 हे0	
102.	जगत	नन्दा	चमार	उल्दना	0.607 हे0	
103.	जगदीश	अमरवल	सहरिया	सोल्दा	0.813 हे0	
104.	जालम	मरजादी	चमार	उल्दना	0.607 हे0	
105.	जशरथ	खिलान	सहरिया	सोल्दा	0.607 हे0	
106.	जगभाग	गुलाब	यादव	''	0.404 हे0	
107.	जानकी	हल्लू	सहरिया	''	1.214 हे0	

क्र0	नाम	पिता का नाम	जाति	गाँव	रकबा	दिनांक
108.	चरन	फूलसिंह	''	''	1.619 हे0	
109.	चुन्नी	मंगल	''	''	1.619 हे0	
110.	तनुवा	जालम	''	''	0.607 हे0	
111.	तुलसी	मुण्डा	''	''	0.437 हे0	
112.	हल्ली	निर्भय	''	''	1.619 हे0	
113.	प्रभु	मर्जादी	चमार	उल्दना	1.020 हे0	
114.	पप्पू	ब्याम	सहरिया	सोल्दा	0.397 हे0	
115.	प्रीतम	फुलू	''	''	0.947 हे0	
116.	विजय	खुलारा	चमार	उल्दना	0.648 हे0	
117.	बलराम	सूरज	यादव	सोल्दा	0.344 हे0	
118.	बिजय	कुंवर	यादव	''	0.746 हे0	
119.	भागीरथ	भूरा	बसोर	उल्दना	0.607 हे0	
120.	भगवत	प्रथ्बी	काछी	''	0.364 हे0	
121.	मोहन	लाडले	''	''	0.680 हे0	
122.	मुकेश	कूरा	बसोर	''	0.607 हे0	
123.	मन्नू	बुद्दे	सहरिया	सोल्दा	1.011 हे0	
124.	मथरा	प्रतिभन	''	''	1.214 हे0	
125.	मीरा	प्रथियन	''	''	1.214 हे0	
126.	मुन्ना	बिहारी	''	''	1.619 हे0	
127.	रुप सिंह	रतीराम	यादव	''	1.052 हे0	
128.	रामदयाल	मर्जादी	बसोर	''	1.214 हे0	
129.	रमेश	अजुद्दी	नाई	उल्दना	1.396 हे0	
130.	राजू	बल्लू	सहरिया	सोल्दा	0.446 हे0	
131.	राजेश	रतीराम	यादव	''	0.587 हे0	
132.	लोचन	अजुद्दी	काछी	उल्दना	0.576 हे0	
133.	लखनसिंह	प्रथिया	सहरिया	सोल्दा	1.214 हे0	
134.	लल्लू	मंगल	''	''	1.619 हे0	
135.	सोहनलाल	धरम	''	उल्दना	0.459 हे0	
136.	शिवचरन	बल्लू	यादव	सोल्दा	0.769 हे0	
137.	सगुन	खिलान	सहरिया	''	1.351 हे0	
138.	सोबरन	गंगा	यादव	सोल्दा	1.618 हे0	
139.	सुखलाल	रामू	सहरिया	''	0.809 हे0	
140.	सुखनन्दन	नथू	लुहार	उल्दना	0.377 हे0	
141.	सगुन	रतीराम	यादव	सोल्दा	1.040 हे0	
142.	हल्लन	हरजू	काछी	''	0.809 हे0	
143.	हल्काई	मोहन	''	''	0.801 हे0	
144.	हरीराम	खिलावन	सहरिया	''	0.607 हे0	
145.	टल्मन	प्यारेलाल	काछी	उल्दना	0.607 हे0	
146.	हरप्रसाद	नन्हेभाई	सहरिया	सोल्दा	0.810 हे0	
147.	हरीराम	खिलावन	''	''	1.596 हे0	

क्र0	नाम	पिता का नाम	जाति	गॉव	रकबा	दिनांक
148.	हरप्रसाद	अमरबल	''	''	1.809 हे0	
149.	झुनर	बन्शी	यादव	''	1.894 हे0	
150.	पुष्पादेवी	दीवानसिंह	''	''	1.890 हे0	
151.	रामचरन	सूरज	''	''	1.890 हे0	
152.	रामनाथ	निहीलाल	''	उल्दना	1.077 हे0	
153.	लखन	निहीलाल	''	''	1.457 हे0	
154.	ज्ञानी	बाबू	''	''	0.269 हे0	
155.			बसोर	सेमरखेड़ा	2.00 एकड़	24,25जु0 04 भूमि विवाद निदान दिवस
156.	भूरेलाल	मुल्लू	रैकवार	धौरीसागर	3.00 एकड़	
157.	मुलायम	मन्नू	सहरिया	बड़वार	2.00 एकड़	
158.	अजुद्दी	जुल्ला	''	''	0.60 एकड़	
159.	कपूरा	नन्नू	''	''	2.00 एकड़	
160	राकेश	मोहन	ब्राम्हण	''	2.25 एकड़	
161.	बेटीबाई	गद्दू	सहरिया	''	3.68 एकड़	
162.	फूलाबाई	रामपोर	''	''	4.68 एकड़	
163.	अजीता	खूबा	''	''	4.68 एकड़	
164.	बाबू	मत्थे	''	''	4.68 एकड़	
165.	रमेश	ढुन्ना	यादव	''	2.50 एकड़	
166.	पिट्टा, टेढ़ा	गनेश	सहरिया	''	4.00 एकड़	
167.	मूरत	ढुन्ना	यादव	''	0.90 एकड़	
168.	गोपी	पारीक्षत	''	''	1.20 एकड़	
169.	मूलचन्द्र	छत्ते	सहरिया	''	0.50 एकड़	
170.	रामदास	हरलाल	यादव	''	0.50 एकड़	
171.	सित्तू	कुठन	यादव	''	0.80 एकड़	
172.	हरिया	दल्लू	सहरिया	''	2.50 एकड़	
173.	हल्की बहिन	गोकल	यादव	पिपरिया	1.60 एकड़	
174.	शीलचन्द्र	खरगा	रैकवार	धौरीसागर	0.62 एकड़	
175.	छंगा	रबूदा	चमार	गर्रोली	3.00 एकड़	
176.	दयालू	गनुवा	''	''	2.00 एकड़	
177.	रामकिशन	सटोला	''	''	1.00 एकड़	
178.	हरबल	किशोरा	''	''	2.00 एकड़	
179.	लल्लू	किशोरी	''	''	2.00 एकड़	
180.	बल्लू	कुन्जी	''	''	0.30 एकड़	
181.	नन्हें भाई	घूमन	यादव	''	1.50 एकड़	
182.	गोसाईं	अलमा	चमार	''	1.00 एकड़	
183.	राजाराम	कम्मोदा	''	''	1.00 एकड़	
184.	रामकिशन	सटोला	''	''	2.50 एकड़	
185.	बल्लू	कुन्जी	''	''	2.50 एकड़	

क्र0	नाम	पिता का नाम	जाति	गाँव	रकबा	दिनांक
186.	बौरा	मुलुवा	''	धौरीसागर	3.00 एकड़	
187.	रामा	टुन्ड	बसोर	''	2.50 एकड़	
188.	रखुवा	हरिया	''	''	2.00 एकड़	
189.	पिम्पा	पर्वत	''	सतरा	3.00 एकड़	
190.	भरोसा	बन्दी	''	धौरीसागर	3.00 एकड़	
191.	धुरईया	टुण्डा	''	''	2.00 एकड़	
192.	शीलचन्द्र	खरगा	ढीमर	''	3.00 एकड़	
193.	रखन	मोहन	''	''	2.00 एकड़	
194.	गोरे लाल	मूल्लू	''	''	3.00 एकड़	
195.	कपूरा	मुलुवा	चमार	''	3.00 एकड़	
196.	मत्था	रग्गू	''	''	1.00 एकड़	
197.	मूंगा	बल्दुवा	''	''	1.00 एकड़	
198.	कपूरा	नन्नू	सहरिया	बड़वार	0.60 एकड़	
199.	सरकनिया		''	''	4.50 एकड़	
200.	मोहन	हरलाल	यादव	''	0.60 एकड़	
201.	जसरथ	भैयालाल	सहरिया	दारूतला	1.00 एकड़	
202.	लक्ष्मन	मोहन	''	''	1.00 एकड़	
203.	कैलाश	रमल	''	''	1.00 एकड़	
204.	रामपूजन	रमल	''	''	1.00 एकड़	
205.	करन	रमल	''	''	1.00 एकड़	
206.	रामदयाल	हरबलिया	''	जैतूपुरा	2.00 एकड़	2.8.04 थाना दिवस
207.	किशोरी	हल्काई	''	''	2.00 एकड़	
208.	बाबू	सोगता	''	''	2.24 एकड़	
209.	प्रीतम	दलपा	कुशवाहा	''	2.00 एकड़	
210.	हरीराम	हरबलिया	सहरिया	''	4.68 एकड़	
211.	हरीराम	हरबलिया	''	''	2.50 एकड़	
212.	रामदीन	हल्काई	''	''	3.00 एकड़	
213.	नन्नाई	बाबू	''	''	3.00 एकड़	
214.	अच्छेलाल	सुन्दर	कुशवाहा	''	1.25 एकड़	
215.	रामलाल	हल्काई	सहरिया	''	2.90 एकड़	
216.	गजराज	बाबू	''	''	2.00 एकड़	
217.	प्यारेलाल	दुर्जन	''	कुर्रट	3.00 एकड़	
218.	मुन्नी	जुद्दा	''	''	2.50 एकड़	
219.	कडोरा	रत्ना	''	''	2.50 एकड़	
220.	खितई	बरजोरा	चमार	''	2.50 एकड़	
221.	बबलू	छत्ता	''	''	2.00 एकड़	
222.	हरीराम		यादव	टौरी	3.00 एकड़	
223.	भागीरथ		''	''	2.00 एकड़	
224.	जाहर	छोटेलाल	''	''	2.00 एकड़	

फिकरा घास की रोटी खाने से मिली मुक्ति

● मड़ावरा ब्लाक जिला मुख्यालय से लगभग 100 किमी0 सुदूर बनांचल में फैला हुआ धसान नदी के किनारे बसे 42 छोटे–छोटे गाँव भूख, ग़रीबी, बेरोजगारी के शिकार हैं। ज़मीन ककरीली, पथरीली है, पेयजल एवं सिचाई जल का घनघोर संकट है। ग़रीब फिकरा घास की रोटी खाने को विवश हैं। **बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान मड़ावरा** ने वर्ष 2002 में सघन सर्वेक्षण करके सर्वाधिक शोषित–पीड़ित 13 ग्राम पंचायतों में चेतना, जागरूकता का कार्य करना प्रारम्भ किया। गाँव–गाँव बैठकें करना, शिविर करना, जिला प्रशासन के अधिकारियों को बुलाने का दौर शुरू हुआ।

विगत 4 नवम्बर 2003 को गिरार गाँव में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में जनपद के वरिष्ट पत्रकार श्री सुरेन्द्र नारायण शर्मा, श्री राजेन्द्र जैन जनसत्ता एक्सप्रेस, श्री विनीत चतुर्वेदी दैनिक जनप्रिय, सुरेन्द्र अग्निहोत्री दैनिक भास्कर लखनऊ, श्री विनोद तिवारी, श्री राजीव दुबे दैनिक जागरण, स्वदेश, अमर उजला, आदि प्रतिनिधि मौजूद थे।

तत्कालीन उपजिलाधिकारी डा0 अरबिन्द कुमार चौरसिया, उपपुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण प्रताप सिंह, खण्ड विकास अधिकारी मड़ावरा, श्री डी0पी0 कौलिया सहित अन्य विभागों के तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। आधा दर्जन गाँव के सहरिया, अधिकारी तथा अन्य पिछड़े समुदाय के सैकड़ो महिला पुरूष जनसुनवाई में उपस्थित थे।

भूमि समस्या, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य के बाद गरीबी तथा भूख के कारण फिकरा (सामा) घास की रोटी खाने की मजबूरी को टपरिया, (बड़वार) की शीलरानी सहरिया आदिवासी ने साहस के साथ उठाया। उपजिलाधिकारी को घास की रोटी दिखाई। यह घटना सबको चौंकाने वाली थी। जिले स्तर के सारे पत्रकारों ने घास की रोटी की घटना को संवेदनशीलता से लिया। उपजिलाधिकारी को विश्वास नहीं हुआ, वह शीलरानी सहरिया के घर गये और कई अन्य घरों में घास की रोटी देखी तो संवेदना में डूब गये। जिले के समाचार पत्रों ने इस प्रकरण को बड़ी गम्भीरता के साथ उठाया। दैनिक जनप्रिय ने विशेष रूप से प्रकाशित किया। जिलाधिकारी श्री उमेश कुमार मित्तल ने गरीबी और भूख के विरुद्ध सहरिया आदिवासियों को प्राथमिकता के आधार पर अन्त्योदय राशन कार्ड बनवाये जिसमें 3 रु0 किलो चावल और 2 रु0 किलो गेहूं देने की व्यवस्था थी। विशेष बात यह है कि गरीबी रेखा के राशन कार्ड निरस्त करके अन्त्योदय राशनकार्ड दिलाने के लिए इसीलिए पहल की थी कि गरीबों के पास मंहगा राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता था। वह सस्ता राशन खरीद लेंगे जिसमें 35 किलो सामग्री मिलेगी। 30 दिन सभी लोग अनाज खा सकेंगे। घास की रोटी खाने की मज़बूरी नहीं रहेगी। इस दौरान राशनकार्ड विहीन सहरिया परिवारों को भी कार्ड बनाये गये। मड़ावरा ब्लाक में दिसम्बर 2003 तक 1600 अन्त्योदय राशनकार्ड सिर्फ सहरिया आदिवासियों के बनाये गये। संस्थान के कार्यक्षेत्र सहित सहरिया आदिवासियों को अन्त्योदय राशनकार्ड में कुल 4,41,600 किलो गेहूँ 23040 किलो चावल एक वर्ष में मिला है। जिसका बाजार मूल्य 5 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ और 8 रुपये प्रति किलो की दर से चावल का कुल मूल्य 40,51,200 रुपये होता है जो अन्त्योदय राशनकार्ड पर वर्तमान में 2 रुपये प्रति किलों की दर से 23 किलो गेहूँ और 3 रूपये किलो की दर से 12 किलो चावन का वार्षिक मूल्य 15,74,400 रुपये में प्राप्त हो रहा है। गरीबों को अब 24,76,800 रुपये का सीधा लाभ हुआ है। अब नियमित अनाज मिलने से पेट रोटी का संकट कम हुआ

है।

शीलरानी सहरिया की अगुवाई तथा द्रोपदी सहरिया की शिकायत ने कोटेदारों को चौकन्ना कर दिया है। अब कोटेदार नियमित रूप से अनाज बाँटने लगे हैं। द्रोपदी सहरिया की शिकायत पर रात को ही दिदौनिया गाँव के कोटेदार के यहाँ डा0 अरबिन्द कुमार चौरसिया ने छापा मारा था। यह खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई।

इसके पूर्व मड़ावरा की यह कुप्रथा थी कि कोटेदार के यहाँ सभी गरीबों के राशनकार्ड रखे रहते थे, कोटेदार जबरन रख लेता था। संस्थान के प्रयास से राशन कार्ड मुक्त करो अभियान उपजिलाधिकारी डा0 अरबिन्द कुमार चौरसिया ने चलाया था। उपजिलाधिकारी के इस अभियान से वर्षों से कोटेदारों की चली आ रही दबंगई दूर हुई। सहरिया आदिवासियों के राशन की लूट खत्म हुई।

सीरोन, सौंरई, दिदौनिया, कुर्रट, गिरार, बम्हौरीखुर्द आदि गाँवों के कोटेदारों पर कई बार दबाव बनाया गया। ग्रामीणों द्वारा शिकायतें की गईं, कोटे निलंबित हुए, बहाल भी हुए। प्रशासन की संवेदनशीलता, मीडिया की सक्रियता, संस्थान की निरन्तर पहल से बुनियादी जरूरत पूरी होने की शुरूआत हुई। निरन्तरता की बहुत आवश्यकता है। गरीब भी अब अपना राशनकार्ड संभालकर रखने लगा है।

उपजिलाधिकारी डॉ0 अरबिन्द कुमार चौरसिया को फिकरा घास की रोटी दिखाते हुए शीलरानी सहरिया

ज़मीन कब्जे से जानकी के जीवन में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा

जानकी पुत्र हल्लू, शिवरानी पत्नी जानकी सहरिया आदिवासी सोल्दा के निवासी हैं। 1404 फसली में भूमि नं0 35/16 रकबा 1.214 हेक्टेयर का पट्टा किया गया था।

जानकी की ज़मीन में उल्दना गाँव के एक यादव का कब्जा था। इनकी ज़मीन में महुवा, चिरौंजी के पेड़ है। दबंग लोग बीनते थे। जानकी ने अनेक बार प्रयास किया किन्तु दबंग कब्जा नहीं दे रहे थे भूमि माप अभियान के साथ संस्थान की पहल से जानकी को कब्जा मिल गया है। भूमि पथरीली है, कृषि योग्य नहीं है। महुवा, चिरौंजी बीनने से इस वर्ष इनको लगभग 2000 रुपये का फायदा हुआ है। खाली पड़ी ज़मीन में गढ्ढे खोदकर अन्य फलदार पौधे लगाने का विचार कर रहे हैं ताकि पथरीली भूमि से भी और अधिक आमदनी प्राप्त की जा सके। पहले से जानकी का परिवार अब अधिक खुश है।

सहरिया आदिवासी बच्चों ने किया साहस
जिलाधिकारी ने काटी गई छात्रवृत्ति वापस दिलाई

● 22 दिसम्बर, 2003 की भोर सोल्दा गाँव के लिए किसी करिश्मा से कम नहीं थी। आज सभी के आँगन लिपे–पुते थे, गलियाँ झाड़कर साफ कर दी गई थीं क्योंकि आज सोल्दा गाँव में **बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान** द्वारा आयोजित जिला स्तरीय एडवोकेसी एवं लाविंग (जनपैरवी) कार्यक्रम में जिलाधिकारी ललितपुर श्री उमेश कुमार मित्तल को आना था। पूरे गाँव में आज कुछ ज्यादा ही चहल–पहल थी। संस्थान कार्यकर्ता दयाराम, हरिश्चन्द्र व्यवस्था में व्यस्त थे।

सोल्दा एक ऐसा गाँव जो वर्तमान स्थिति से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर दूर जंगल में सदियों पूर्व बसा था, प्लेग की बीमारी फैलने के कारण सोल्दा गाँव दक्षिण में आकर मैदान में ढगरा के नाम से बस गया। गाँव के बासिन्दे तो गाँव का नाम ढगरा बताते हैं किन्तु कागजों में सोल्दा के नाम से जाना जाता है। उल्दनाखुर्द ग्राम पंचायत का सोल्दा मजरा है जिसमें 80 परिवार सहरिया एवं 7 यादव परिवार रहते हैं। सहरिया आदिवासी परिवारों के पास ज़मीनें तो थीं किन्तु उन्हें कब्ज़ा नहीं मिला था। सस्ती राशन सामग्री भी समुचित ढंग से नहीं मिलती थी। स्कूल तो था किन्तु इस जंगली गाँव में कोई शिक्षक रहने को तैयार नहीं। शिक्षा मित्र की भर्ती में एक शिक्षित युवक इस गाँव में नियुक्त किया गया था। सौंरई गाँव का यह युवक 7 किमी0 दूर सोल्दा पढ़ाने यदा–कदा जाता था। साक्षरता दर उल्दनाखुर्द ग्राम पंचायत की मात्र 12 प्रतिशत आज भी है। यानि शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। सहरिया आदिवासी वर्ष 2003 में अनुसूचित जाति में थे। प्राइमरी विद्यालय में बच्चों की छात्रवृत्ति आई थी, सभी बच्चों तथा अभिवावकों को बड़ी उत्सुक्ता थी कि बच्चों के नाम का पैसा स्कूल से मिलेगा। गाँव में गरीबी इस कदर कि पथरीली ज़मीन में पैदावार न होना, मजदूरी न मिलना, जंगल में फलफूल, महुआ, आँवला, तेदूपत्ता बीन–बेंच कर जीवन यापन करना, वन निगम, वन विभाग के हथकण्डों के शिकार बनना ऐसी विपन्न स्थिति में छात्रवृत्ति का 300 रु0 मिलना भी बड़ी बात है। कम से कम नमक, तेल, आलू की जुगत तो होगी ही, ठण्ड़ी के दिन थे आग की आँच से ही रात–दिन कटता था। एक सप्ताह बीत गया, बच्चों का वज़ीफा जब नहीं मिला तो सोल्दा गाँव के लोग चिन्ता में डूब गये। हिम्मत नहीं थी कि दबंग शिक्षक की शिकायत करें। यह भी नहीं ज्ञात कि कहाँ किससे शिकायत करें।

सोल्दा गाँव में 21 दिसम्बर को जब उपजिलाधिकारी डॉ0 अरबिन्द कुमार चौरसिया, वासुदेव जी बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान मड़ावरा से पहुँचे तो गाँव में 22 दिसम्बर, 2003 को जिलाधिकारी के आने की सूचना दी, यह सूचना गाँव के लोगों को बहुत आश्चर्य जनक लगी। संस्थान कार्यकर्ताओं ने सभी गाँव के महिला पुरुषों को बताया कि सभी प्रकार की समस्याओं को जिलाधिकारी को बताइये। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भूमि कब्ज़ा, पानी संकट, शोषण, उत्पीड़न की समस्या जरूर बताइये, संस्थान द्वारा प्रेरित करने पर ग़रीबों की हिम्मत बढ़ी। छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों एवं उनके अभिवावकों ने भी शिक्षक की शिकयत करने की मन में ठान ली।

दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 को जिला मुख्यालय से 100 किमी0 दूर ऊबड़–खाबड़ जंगली रास्ता पार करके जिलाधिकारी श्री उमेश कुमार मित्तल लगभग 12 बजे सोल्दा गाँव पहुँचे। लगभग 3–4 हजार सहरिया गोंड़ आदिवासी व अन्य नागरिक कार्यक्रम में उपस्थित थे। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम का शुभारम्भ जिलाधिकारी का स्वागत उसी शिक्षक के माध्यम से बच्चों द्वारा स्वागत गीत गाकर व माल्यार्पण करके किया गया। कार्यक्रम का संचालन वासुदेव जी कर रहे थे। इसी बीच डी0एम0 ने कहा कि मुझे सीधी बात ग्रामीणों

से तथा बच्चों से करनी है। जिलाधिकारी ने माइक लेकर बच्चों से शुरूआत की, गिनती पहाड़ा पूँछा, बच्चों ने सुनाया तो, लेकिन रुक–रुक कर कमजोर दिखाई पड़े। स्कूल में अध्यापक आते हैं, किताबें मिलीं, वज़ीफा मिला? बस जैसे ही डी0एम0 ने बोलना बन्द किया बच्चे व अभिवावकों ने एक साथ खड़े होकर कहा सरकार वज़ीफा नहीं मिला। तत्काल शिक्षक को बुलाया गया, उसने कहा, दिया है। छात्रों ने कहा 50–50 रुपये काट लिया गया है। अभिवावकों ने भी जोर दिया। डी0एम0 ने कहा कि क्यों छात्रवृत्ति से राशि काटी गई? तो शिक्षक ने कहा कि विद्यालय में सरस्वती का चबूतरा बनवाना है। गुस्से में डी0एम0 ने कहा कि तुम अपने वेतन से चबूतरा क्यों नहीं बनवाते हो? बच्चों की छात्रवृत्ति का पैसा अभी वापस करो वरना अभी जेल भेजता हूँ। शिक्षक गिड़गिड़ाने लगा। यह दृश्य जनपद के पत्रकार व अधिकारी तथा हजारों लोग खुली आँखों से देख रहे थे। यह पहली घटना थी, जब इस मड़ावरा ब्लाक में कोई उच्चाधिकारी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध गम्भीरता पूर्वक शक्तिशाली ढंग से समाधान कर रहा था। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुरी तरह से डांट लगाई और कहा कि पूरे जनपद में यदि कोई सूचना छात्रवृत्ति काटने की मिली तो सीधे जिम्मेदार कर्मचारी जेल जाने की तैयारी में रहें। मड़ावरा का शिक्षा विभाग कांप गया। 22 दिसम्बर की शाम 45 बच्चों का 2250 रुपये शिक्षक ने वापस किया। गाँव वालों से माफी माँगी। उस विद्यालय से उसका स्थानान्तरण भी कर दिया गया है। तब से आजतक पूरे ब्लाक में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। उस गाँव में सरकारी कर्मचारी अब ग़रीबों का शोषण नहीं कर पाते। ग्रामीण जागरूक हुए हैं। शिक्षा विभाग भी शिक्षक काशीराम झा से तंग रहता था। इस कार्यक्रम में आमना–सामना होने पर छात्रवृत्ति हड़पने वाले चर्चित दबंग शिक्षक काशीराम झा पहली बार झुके, शिक्षामित्र भी सुधर गया।

मड़ावरा ब्लाक की इस घटना से बच्चों का शोषण थम गया। मड़ावरा ब्लाक की 51 ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग चौकन्ना हुआ। संस्थान के इस प्रकार के आयोजनों की तिथियाँ शिक्षक ज्ञात कर लेते थे कि आगे कार्यक्रम कहाँ होने वाला है। हमारी कोई शिकायत न हो। शिक्षा विभाग ब्लाक संदर्भ केन्द्र प्रभारी ने भी संस्थान से सम्पर्क करके ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया, तथा निरन्त सम्पर्क में आ गये।

जिलाधिकारी श्री उमेश कुमार मित्तल बच्चों से छात्रवृत्ति काटे जाने की शिकायत सुनते हुए

ग्राम पंचायत बिल्हरका में 25 वर्षों बाद पट्टा धारकों को नापकर दी गई जमीनें

● देश को आजाद हुए 57 वर्ष बीत गये किन्तु नरैनी ब्लाक के रानीपुर, भॉवरपुर, बिल्हरका, बोड़ेपुरवा का बिदुवा पुरवा आज भी गुलाम है। स्थिति यह है कि यहाँ आज भी दादुओं के आगे कलेक्टर की कलेक्टरी नहीं चलती। गुलामी मानसिकता में जकड़े यहाँ के भूमिहीन, मजदूर, किसान आज भी दरिद्रतापूर्ण जीवन जी रहे हैं। दबंगों का बेगार कराना, कम मजदूरी में 10–10 घण्टे काम कराना, काम से इन्कार करने पर दबंगों द्वारा प्रताड़ित किया जाना इनकी नियति ही बन गई है। इन परिवारों के आजीविका के लिए 25 वर्ष पहले पट्टे किये गये थे। किन्तु ज़मीन दबंगों के कब्ज़े में है। आज तक इन्हें अपनी भूमि में कब्ज़ा नहीं मिला। इन्होने जब भी अपनी ज़मीनों में कब्ज़ा का प्रयास किया है दबंगों द्वारा डण्डो, बन्दूकों की नोको से इन्हे मारा गया है, प्रताड़ित किया गया है। **परागीलाल विद्याधाम समिति** ने जब यहाँ की ग़रीबी का अध्ययन किया तब पता लगा कि लोगो की आजीविका का आधार भूमि है किन्तु उस भूमि में दबंगो ने कब्ज़ा कर रखा है। समिति के कार्यकर्ताओं ने इन ग़रीबों की ज़मीन को दबंगो से मुक्त कराने की रणनीति बनाई। दरवाजे–दरवाजे जाकर कब्ज़े से वंचित परिवारों की एक सूची तैयार की गई। इस सूची को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। इसी के साथ 4 दिसम्बर, 2003 को पंचमपुर में जनपद के लोकप्रिय जिलाधिकारी श्री मुकेश मेश्राम के समक्ष एक जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के सामने भुक्तभोगियों ने पहली बार अपनी बात रखी। **जिलाधिकारी श्री मुकेश मेश्राम** क्षेत्र की भूमि विसंगतियों से अवगत हुए और उन्होने दबंगों से ज़मीन मुक्त करवाने की रणनीति बनाई तथा 20 दिन के अन्दर ही लगभग 50 परिवारों की ज़मीने नापकर दी गईं। दुर्भाग्य से कुछ दिन बाद ही श्री मेश्राम का स्थानान्तरण हो गया जिनके जाते ही यह अभियान जहाँ का तहाँ रह गया। साथ ही जो जमीन दबंगों से मुक्त हुई थी उसमें पुनः दंबगों ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। इसके बाद भी समिति कार्यकर्ता अपने मिशन में लगे रहे। समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित करवाना, क्षेत्रीय समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराना यह क्रम लगातार चलता रहा। देश के बहुचर्चित आई0ए0एस0 श्री विजय शंकर पाण्डेय ने जैसे ही आयुक्त के नाते मण्डल की कमान संभाली वैसे ही इन समस्याओं को लेकर उनसे मिला गया। वहाँ की स्थिति से अवगत कराया गया। तथ्यपूर्ण साक्ष्यों के साथ दिये गये प्रार्थना पत्र में आयुक्त महोदय ने एक सप्ताह के अन्दर ज़मीन में कब्ज़ा दिलवाने के निर्देश दिये। कमिश्नर के निर्देश पर तहसीलदार नरैनी बी0पी0सिह के नेतृत्व में 8 लेखपालों की टीम गठित की गई। साथ ही पुलिस फोर्स को देकर उन्हें हिदायत दी गई कि पैमाइस करके पट्टे धारकों को कब्ज़ा दिलायें। आदेश के दूसरे दिन से ही राजस्व दल द्वारा कब्ज़ा नाप का अभियान चलाया गया और एक सप्ताह के अन्दर 48 परिवारों को 160 बीघा ज़मीन नापकर दे दी गई। साथ ही दबंगो को भी सूचित कर दिया गया कि अब अगर आपने किसी ग़रीब की ज़मीन में कब्ज़ा किया तो गुण्डा एक्ट के तहत आपको जेल भेजा जायेगा। दबंगो ने भी ज़मीन छोड़ना शुरू कर दिया है। पीढ़ियों से अपने मौलिक अधिकारों से वंचित परिवार अपनी ज़मीने पाकर अभिभूत हैं।

जन सुनवाई में ग्रामीणों की समस्यायें सुनते जिलाधिकारी बॉदा श्री मुकेश मेश्राम

बारह वर्षों से अपूर्ण पड़े पुंगरी पुल निर्माण में मिली सफलता

● बांदा जनपद के दक्षिण में मुख्यालय से 60 किमी0 दूर मध्य प्रदेश की सीमा से लगा बागै, रन्ज तथा केन इन तीन नदियों से घिरा नरैनी ब्लाक का करतल क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। भूमि में अवैध कब्जा इस क्षेत्र की पहचान है। शिक्षा की दुर्दशता, स्वास्थ्य सुविधाओं का अकाल यहाँ की मुख्य समस्या है। रामपुर कनाय सम्पर्क मार्ग वर्षों से अधूरा पड़ा है तथा 12 वर्षो से अधूरा पड़ा पुंगरी पुल यहाँ के निवासियों के लिए अभिशाप से कम नहीं है। इन सारी समस्याओं से निज़ात पाने के लिए इस क्षेत्र में सामाजिक संस्था **"परागीलाल विद्याधाम समिति"** द्वारा गाँव–गाँव में किये जा रहे संगठन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप चिनगारी संगठन तथा पंचायत संघ करतल ने संयुक्त रूप से आन्दोलन करने का मन बनाया। इन संगठनों ने 14 नवम्बर, 2004 से लोकहितों की उपेक्षा के विरुद्ध करतल बस स्टैण्ड में क्रमिक उपवास तथा धरना प्रर्दशन करने का निर्णय लिया। संगठन ने आन्दोलन का कार्यक्रम घोषित कर अधिकारियों को सकते में डाल दिया। जगह–जगह पोस्टर चिपकाये गये। पत्र के माध्यम से शासन–प्रशासन को अवगत कराकर समस्याओं का ज्ञापन दिया गया तथा उन समस्याओं के निराकरण की माँग की गई। नियत तिथि 14 नवम्बर, 2004 को चिनगारी संगठन तथा पंचायत संघ करतल के तत्वाधान में सुबह 10 बजे ग्रामीणों ने शासन विरोधी नारे लगाते हुए करतल गाँव की परिक्रमा की तथा ग्राम देवता की पूजा कर आन्दोलन की शुरूआत की। इस आन्दोलन को पाँच चरणों में पूरा किया जाना तय था।

अनशन पर बैठे चिनगारी संगठन तथा पंचायत संघ के सदस्य व अन्य सहयोगी

प्रथम चरण – क्रमिक उपवास
द्वितीय चरण – अर्धनग्न उपवास
तृतीय चरण – प्रशासन की अर्थी लेकर उपवास स्थल से बांदा मुख्यालय तक पैदल यात्रा
चतुर्थ चरण – कलेक्ट्रेट के सामने मुण्डन तथा करतल में तेरही संस्कार
पंचम चरण – पुंगरी पुल निर्माण हेतु गाँव–गाँव भिक्षा माँगना।

इस अवसर पर बांदा तथ चित्रकूट में काम कर रहे तमाम स्वैच्छिक संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ।

प्रथम दिन क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान अनशन पर बैठे। इसी तरह रोज गाँव से आकर ग्रामवासी अनशन पर बैठते थे। 24 घण्टे बैठने के बाद नये अनशनकारी आ जाने पर अपना अनशन समाप्त कर अनशन स्थल से उठते थे। प्रशासन की चुप्पी आन्दोलन को और तेज करने में सहायक सिद्ध हो रही थी। धीरे–धीरे यह आन्दोलन तेज होता गया। गाँव–गाँव देवालयों में महिलाओं ने उपवास शुरू कर दिया। जब मीडिया ने आन्दोलन की व्यापकता को अखबारों में छापा तो प्रशासन संवेदित हुआ। मुख्य विकास अधिकारी श्री एन0एल0 गंगवार ने चिनगारी संगठन एवं पंचायत संघ करतल क्षेत्र के ज्ञापन व चेतावनी पत्र का संज्ञान देते हुए अभिकरण के परियोजना निदेशक, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सिंचाई प्रखण्ड व लघु सिंचाई के अधिशाषी अभियन्ताओ, बेसिक शिक्षाधिकारी तथा पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि अपने विभागों से सम्बन्धित क्षेत्र की समस्याओं की मौके पर जानकारी करके उनका निस्तारण कराते हुए 15 दिनों के भीतर अवगत करायें। ग्यारहवें दिन दिनांक 24 नवम्बर, 2004 को जिलाधिकारी बांदा के प्रतिनिधि के रूप में जिला विकास अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद यादव उपवास स्थल पर पधारे तथा सभी माँगों को उचित ठहराते हुए उनके निराकरण का वचन देकर अनशनकारियों का अनशन समाप्त कराया। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप 12 वर्षों से अधूरा पड़ा पुंगरी पुल तथा रामपुर कनाय सम्पर्क मार्ग का निर्माण सम्भव हो सका। स्वास्थ्य सुविधाओं तथा शिक्षा सुविधाओं में गुणात्मक सुधार हुआ।

आन्दोलन से मिली सफलता पर क्षेत्रवासियों में उत्साह है, उमंग है तथा संगठन के द्वारा मिली

निर्मित पुंगरी पुल की एक झलक

विश्वास, संघर्ष ने दिलाया 32 परिवारों को जमीन

● बांदा जनपद के केन किनारे बसे बरियारी, कोलावल, रायपुर अति पिछड़े गांव हैं। इन गांवों में लगभग 3 हज़ार की आबादी है जिसमें यादव, ब्राम्हण, पाल, केवट बिरादरी के लोग निवास करते हैं। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि सुविधाओं का अभाव है। यहाँ के लोगों में कोई खास जागरूकता नहीं है। कोलावल ग्राम पंचायत में शिक्षा के अभाव के परिणाम स्वरूप आपसी गुटबंदी, लड़ाई–झगड़े एवं भूमि मुद्दे प्रमुख हैं। ग्राम कोलावल रायपुर में 32 परिवार पट्टे की भूमि पर कब्जे से वंचित हैं। शासन का ''कब्ज़ा दिलाओं अभियान'' यहाँ निरर्थक सिद्ध हुआ है। लेखपाल लोगों को गुमराह कर आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। गांव के लक्ष्य समूह को विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत यथा पत्रकार भ्रमण, शिविर, जनसुनवाई, भू–अधिकार सम्मेलन आदि के माध्यम से **कृष्णार्पित सेवाश्रम** के कार्यकर्ताओं ने जागरूक किया जिससे गांव के लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई और अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हुए। गाँव के पीड़ित पक्ष ने अपने हक़ के लिए एस0डी0एम0 व तहसीलदार महोदय नरैनी तथा जिलाधिकारी बांदा के नाम प्रार्थना पत्र लिखा और पत्रकार भ्रमण के दौरान अपनी व्यथा सुनायी। मीडिया ने इस समस्या को कई बार प्रमुखता से छापा, जिससे शासन–प्रशासन संवेदित हुआ। उच्चाधिकारियों के द्वारा भूमि नापने हेतु निर्देश दिये गये किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। संस्था के द्वारा पीड़ित पक्ष को अपनी बात रखने हेतु दिनांक 22.12.03 को जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमान् जिलाधिकारी बांदा रहे। पीड़ित पक्ष ने अपनी समस्या सुनाई। जिलाधिकारी महोदय ने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने हेतु आश्वासन दिया। इसके बाद पुनः दिनांक 25.4.04 को जनसुनवाई कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी नरैनी को अपनी बात प्रार्थना पत्र के माध्यम से सुनायी तथा मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। मीड़िया ने इस समस्या को प्रमुखता से छापा। एस0डी0एम0 महोदय ने विभागीय कर्मचारियों को आदेश दिया कि गाँव में जाकर पट्टा धारकों को भूमि नापकर कब्जा दिया जाये। इस आदेश का अनुपालन करने हेतु दिनांक 9.6.04 व दिनांक 21.6.04 को पट्टों की नाप हुई तथा कब्ज़ा व दखलनामा भी हांथो–हांथ दिया गया। पट्टा धारकों ने संस्था व कार्यकर्ताओं के इस प्रयास के प्रति आभार प्रकट किया है। प्राप्त भूमि को कृषि योग्य बनाकर अपने परिवारों का पालन–पोषण करने में लग गये हैं। भूमि माप कर कब्जा प्राप्त करने वाले परिवारों का विवरण निम्नवत् है। ग्राम पंचायत कोलावल व बरियारी में पट्टा धारकों को लगभग 85 बीघे भूमि नापकर दिलवायी गई है। वर्तमान में सभी

भूमि माप करता हुआ लेखपाल संस्था कार्यकर्ता व ग्रामीण

भूमि मापकर कब्जा प्राप्त करने वाले परिवारों का विवरण

क्र0	नाम	पिता का नाम	जाति	गांव	बीघा/हेक्टेयर
1	श्री रमेश	श्री भोला	पाल	बरियारी	1 बीघा
2	श्री रामकरन	श्री भोला	पाल	बरियारी	6 बीघा
3	श्री लखना	श्री वादू	पाल	बरियारी	7 बीघा
4	श्री गया	श्री वादू	पाल	बरियारी	7 बीघा
5	श्री रामकुमार	श्री वृंदावन	पाल	बरियारी	2 बीघा
6	श्री रामकिशोर	श्री महादेव	पाल	बरियारी	5 बीघा
7	श्री गेंदा	श्री चुनवाद	पाल	बरियारी	3 बीघा
8	श्री कालीचरन	श्री विशुंथा	केवट	बरियारी	5 बीघा
9	श्री राजाभइया	श्री महादेव	पाल	बरियारी	5 बीघा
10	श्री रामदास	श्री तेजा	पाल	बरियारी	1 बीघा
11	श्री कल्लू	श्री तेजा	पाल	बरियारी	3 बीघा
12	श्री देवीदीन	श्री ———	साहू	बरियारी	3 बीघा
13	श्री रामनरायण	श्री श्रीराम	यादव	कोलावल	1.397 हेक्टे0
14	श्री विरजा	श्री मचला	यादव	कोलावल	0.322 हेक्टे0
15	श्री कमलेश	श्री बद्री	यादव	कोलावल	1.411 हेक्टे0
16	श्री रामप्रताप	श्री चुनवाद	यादव	कोलावल	0.632 हेक्टे0
17	श्री गया प्रसाद	श्री श्यामलाल	यादव	कोलावल	1.186 हेक्टे0
18	श्री राममनोहर	श्री बाबू	यादव	कोलावल	0.293 हेक्टे0
19	श्री कल्लू	श्री मुन्नीलाल	यादव	कोलावल	0.197 हेक्टे0
20	श्री भगवानदीन	श्री शिवबालक	यादव	कोलावल	0.608 हेक्टे0
21	श्री जगप्रसाद	श्री शिवबालक	यादव	कोलावल	0.608 हेक्टे0
22	श्री रामगोपाल	श्री परसन	यादव	कोलावल	0.661 हेक्टे0
23	श्री राजाभइया	श्री परसन	यादव	कोलावल	0.661 हेक्टे0
24	श्री राममिलन	श्री परसन	यादव	कोलावल	0.316—0.796 हे0
25	श्री रामसनेही	श्री चुनवाद	यादव	कोलावल	0.276 हेक्टे0
26	श्री देवकुमार	श्री झुलानी	यादव	कोलावल	0.438 हेक्टे0
27	श्री हरीबाबू	श्री रामसरन	यादव	कोलावल	0.689 हेक्टे0
28	श्री श्यामबाबू	श्री रामसरन	यादव	कोलावल	1.219 हेक्टे0
29	श्री रामबाबू	श्री रामसरन	यादव	कोलावल	1.218 हेक्टे0
30	श्री रामकिशुन	———	केवट	बरियारी	1.019 हेक्टे0
31	श्री मइयादीन	———	साहू	बरियारी	0.961 हेक्टे0
32	श्री शिवप्यारी	श्री बाबूलाल	यादव	कोलावल	बटा तरमीन ठीक करायी गई

ज़मीन पाकर खुश हुए ग्रामीण

● बांदा जनपद के महुआ ब्लाक में ग्राम सभा माधौपुर का मजरा रागौल केन नदी के किनारे स्थित है। इस क्षेत्र में शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव है। क्षेत्र में रहने वाले ग़रीब समुदाय अपने अधिकारों से हमेशा वंचित रहे हैं। गाँव का विकास केवल कागजों तक सीमित है। इस गाँव में 10 वर्ष पहले ग़रीब समुदाय के परिवारों को पट्टे किये गये थे। किन्तु दबंगों की सह से अपने भौमिक अधिकार पाने में यह परिवार सफल नहीं हो पा रहे थे।

शासन की मंशा है कि ग़रीबों को भौमिक अधिकार मिलें, इसके लिए नित्य नये कानून भी बनाये जा रहे हैं, किन्तु नीतियों का अनुपालन करने वाले निचली कड़ी के कर्मचारी शासन की मंशा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र में भौमिक अधिकारों के सन्दर्भ में झांकने का प्रयास किया गया तो निकल कर आया कि ग़रीब समुदाय निराश है। उनमें जागरूकता का अभाव है। जहाँ एक तरफ भूमि विसंगतियों में सामन्तशाही व्यवस्था प्रमुख है, वहीं पर पुलिस तंत्र भी अन्याय की चरम सीमा को पार कर रहा है। पैसे व दबंगों की सह पर उल्टे पट्टा धारकों को जेल की हवा खानी पड़ रही है।

पुलिस की मनमानी को प्रशासन मूक दर्शक बनकर देख रहा है। पुलिस के उत्पीड़न का जीता–जागता उदाहरण रागौल के पट्टाधारक भूपत, कम्पोटर, पन्नालाल पुत्रगण वादे कोरी, मुन्नू पुत्र विसुन्था केवट, चुन्नू पुत्र दीनदयाल पाल ग़रीब कृषक मजदूर हैं जिनको 10 वर्ष पहले पट्टा प्राप्त हुआ था, लेकिन नापकर कब्ज़ा नहीं दिया गया था। **कृष्णार्पित सेवाश्रम अतर्रा** द्वारा संचालित पैक्स परियोजना के अन्तर्गत इस मामले को चिन्हित किया गया। पट्टेदारों को पट्टे पर कब्ज़ा दिलाने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण निम्नवत है :–

दिनांक	प्रार्थना पत्र किसको दिया गया	की गई कार्यवाही
18.11.03	उपजिलाधिकारी, नरैनी	कोई कार्यवाही नहीं
21.12.03	जिलाधिकारी, बांदा	कार्यवाही हुई
07.07.04	लेखपाल द्वारा पट्टा नापकर कब्जा दखल दिया गया दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति बल्देल, श्रीपाल, जयराम, रजवा केवट, निवासी रागौल आदि ने पट्टे की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। जिलाधिकारी द्वारा पट्टों पर पुनः कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिनांक 10.08.04 को दिये गये।	कार्यवाही हुई
02.09.04	पुनः लेखपाल, कानूनगो द्वारा नापकर कब्जा दिलाया गया। दबंगों ने फिर पट्टे की भूमि पर कब्जा कर लिया।	कार्यवाही हुई
10.09.04	उपजिलाधिकारी, नरैनी को पुनः प्रार्थना पत्र दिया गया	कोई कार्यवाही नहीं
13.09.04	थानाध्यक्ष गिरवां को प्रार्थना पत्र दिया गया।	कोई कार्यवाही नहीं
13.09.04	उपजिलाधिकारी नरैनी को प्रार्थना पत्र दिया गया। उपजिलाधिकारी नरैनी ने थानाध्यक्ष नरैनी को 7 दिन के अन्दर पट्टे धारकों को कब्जा दिलाकर सूचित करने का आदेश दिया	कार्यवाही हुई

दिनांक	प्रार्थना पत्र किसको दिया गया	की गई कार्यवाही
19.09.04	दैनिक जागरण में समाचार प्रकाशित हुआ।	कोई कार्यवाही नहीं
20.09.04	श्री इण्डिया में समस्या का समाचार प्रकाशित हुआ।	कोई कार्यवाही नहीं
24.09.04	पुलिस उपाधीक्षक नरैनी को प्रार्थना पत्र दिया गया।	कोई कार्यवाही नहीं
14.10.04	श्री जमुना प्रसाद बोस (पूर्व मंत्री) को प्रार्थना पत्र दिया गया	कोई कार्यवाही नहीं
16.10.04	पुलिस अधीक्षक बांदा को प्रार्थना पत्र दिया गया	कोई कार्यवाही नहीं
16.10.04	आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल बांदा को प्रार्थना पत्र दिया गया	कोई कार्यवाही नहीं
16.10.04	पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट धाम मण्डल बांदा को प्रार्थना पत्र दिया गया।	कोई कार्यवाही नहीं
02.11.04	उपजिलाधिकारी नरैनी को प्रार्थना पत्र दिया गया।	कोई कार्यवाही नहीं
03.11.04	थानाध्यक्ष गिरवां को प्रार्थना पत्र दिया गया।	कोई कार्यवाही नहीं

संस्था द्वारा किये जा रहे प्रयासों के बावजूद भी थानाध्यक्ष गिरवां ने पट्टों पर कब्जा न देने वाले दबंग लोगों के स्थान पर उल्टे पट्टे धारकों को ही जेल भेज दिया। इसके बावजूद भी संस्था ने अपने प्रयासों को जारी रखा जिसका विवरण निम्नवत है :–

दिनांक	प्रार्थना पत्र किसको दिया गया	की गई कार्यवाही
8.11.04	श्री इण्डिया में उपरोक्त प्रार्थना पत्रों का हवाला देते हुए समस्या का प्रकाशन हुआ।	कोई कार्यवाही नहीं
09.11.04	दैनिक जागरण में समस्या का पुनः प्रकाशन हुआ।	कोई कार्यवाही नहीं
16.11.04	उपजिलाधिकारी महोदय को लेखपाल द्वारा पट्टा नापने की सूचना दी गई।	
28.11.04	थानाध्यक्ष ने उन दबंग लोगों के पक्ष में एक रिपोर्ट उपजिलाधिकारी नरैनी को भेजी कि वह भूमि उन्हीं लोगो की है, पट्टाधारक जबरजस्ती उस भूमि को लेना चाहते हैं।	
15.12.04	संस्था ने फिर पट्टा धारकों को साथ लेकर उपजिलाधिकारी नरैनी को पत्र दिया।	कार्यवाही हुई
18.12.04	थानाध्यक्ष, लेखपाल, कानूनगो ने पुनः तीसरी बार पट्आधारकों को कब्जा दखल दिलाया तथा पट्टे की भूमि को दबंगो से मुक्त कराया। दबंग व्यक्तियों ने पट्टे वाली भूमि पर धमका कर पुनः कब्जा कर लिया। इसके बाद भी संस्था कार्यकर्ता व साथ में पट्टाधारक मिलकर प्रयासरत रहे।	
04.01.05	संस्थान ने पुनः उपजिलाधिकारी नरैनी को इस विकराल समस्या को गंभीरता के साथ अवगत कराया। उपजिलाधिकारी ने तुरन्त थानाध्यक्ष गिरवा को पट्टा धारकों को कब्जा दिलाने का आदेश दिया	
08.01.05	इस बार थानाध्यक्ष गिरवा ने उन दबंगो के खिलाफ धारा 198(ए) Z.L.R.एक्ट 3(1) SC, ST (हरिजन उत्पीड़न) का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और बड़ी मुश्किल से पट्टाधारकों को भूमि पर कब्जा दिलाया। संस्था के इस प्रयास से [illegible] में विश्वास बढ़ा है।	

सतत् प्रयास से गाँव की शिक्षा व्यवस्था ठीक हुई

● बांदा जनपद के मुहआ ब्लाक में ग्राम पंचायत मनीपुर केन नदी के किनारे स्थित है, जिसकी आबादी लगभग 3000 है। ग्राम पंचायत मनीपुर में दो विद्यालय हैं, एक प्राथमिक विद्यालय तथा दूसरा जूनियर हाईस्कूल जिसमें कुल 350 बच्चे पढ़ते हैं।

सरकार शिक्षा जैसे पवित्र कार्य में करोड़ो रुपये खर्च कर अशिक्षा को जड़ से खत्म करना चाहती है। शिक्षा का विशेष महत्व समझकर सर्वशिक्षा अभियान, साक्षरता अभियान आदि कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है, जिससे गाँव में कोई व्यक्ति अशिक्षित न रह सके। जहाँ एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में सरकार करोड़ो रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत मनीपुर की 350 बच्चों की शिक्षा की स्थिति पर गाज गिर रही थी।

मनीपुर के प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक श्री कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ग्राम गुरेह निवासी 2001 से नियुक्त थे। माह दो माह प्र0 अध्यापक ने विद्यालय में शिक्षा बच्चों को दी, इसके बाद प्रधान अध्यापक हफ्तों की छुट्टी लेकर विद्यालय बन्द करने लगे। इस प्रकार की लापरवाही में गाँव के कई लोगों ने हस्तक्षेप किया तो वह हट पूर्वक गाँव के लोगों को धमकाने लगे। धीरे–धीरे प्र0 अध्यापक ने विद्यालय आना बन्द कर दिया तथा घर में बैठै–बैठे वेतन लेने लगे। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए गाँव के बब्बू सिंह उपप्रधान एवं बलखण्डी शर्मा तथा मुखराम यादव समेत कई लोगों ने समस्या पर विचार किया। दूसरी ओर प्रधान अध्यापक कृष्णगोपाल अपनी दबंगई के बल बूते पर कह रहे थे कि मैं देखता हूँ कि मनीपुर गाँव में कितने नेता हो गये हैं, जो लोग नेतागिरी करेंगे, उन्हें मैं देख लूँगा। अब प्रधान अध्यापक के बदले उसका बेटा विद्यालय आने लगा तथा अपने पिता के नाम पर एक–एक हफ्ते की उपस्थिति लगाकर चला जाता था। इस अव्यवस्था को देखकर गाँव के लोग हैरान हुए, परन्तु कार्यवाही करने हेतु आवाज उठाने में सक्षम नहीं थे। इस प्रकार बच्चों के साथ दो वर्ष तक खिलवाड़ होता रहा, तथा बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती रही।

इसी दौरान **कृष्णार्पित सेवाश्रम, अतर्रा** द्वारा संचालित पैक्स परियोजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण के समय यह समस्या उभरकर सामने आई जिस पर संस्था के कार्यकर्ताओं ने इस समस्या के समाधान हेतु गाँव के लोगों ने साहस बंधाया। संस्था द्वारा आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर दिनांक 22.12.03 को जिलाधिकारी बांदा को अपना शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद दिनांक 7.02.04 व 9.02.04 को हिन्दुस्तान व आज में इस समस्या को प्रकाशित किया गया, फिर भी प्रधानाध्यापक पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। पुनः ग्रामीणों ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.04 को खण्ड विकास अधिकारी को दिया तथा दिनांक 01.10.04 को दैनिक जागरण, श्री इण्डिया में समस्या को प्रकाशित कराया। इसके बाद दिनांक 2.10.04 को ग्रामीणों ने पुनः जिलाधिकारी बांदा को एवं बेसिक शिक्षाधिकारी बांदा को हाथों–हाथ प्रार्थना पत्र सौंपा लेकिन सरकारी तन्त्र का एक भी ध्यान ग्राम मनीपुर के विद्यालय की ओर नहीं गया और न ही उन छोटे–छोटे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु कोई सक्षम कार्यवाही की गई।

संस्था द्वारा समय समय पर कराये गये पत्रकार भ्रमण में बार–बार गाँव के लोग गुहार लगाते रहे तथा पत्रकार गाँव में लोगों से तथा विद्यालय के बच्चों से साक्षात्कार करके लगातार अखबारों में छापते रहे। संस्था द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रमों में भी इस समस्या के प्रार्थना पत्र आते रहे, किन्तु प्रशासन फिर भी संवेदनहीन बना रहा।

इस बीच उसी प्रधानाध्यापक ने उसी विद्यालय में एक कक्षीय भवन का निर्माण कराने हेतु ठेका लिया जो मानकों की अनदेखी करके भवन का निर्माण करा रहा था। गाँव को यह देखा नही गया तथा दिनांक 24.01.04 को भवन निर्माण धांधली के सन्दर्भ में तथा उसकी अनुपस्थिति के सन्दर्भ में एक प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण

रिकार्डो के साथ संस्था कार्यकर्ताओं ने ग्राम प्रधान से प्रमाणित करा कर साथ ही बब्बू सिंह उपप्रधान, राम नारायण खेंगर, बलखण्डी शर्मा एवं मुखराम यादव समेत दर्जन भर लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को पुनः ज्ञापन सौंपा तथा सम्पूर्ण समस्या से जिलाधिकारी को अवगत कराया तथा त्वरित कार्यवाही किये जाने की माँग की। ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी महोदय ने जाँच के आदेश दिये तथा सक्षम कार्यवाही की पहल शुरू की। मौके पर कृष्णगोपाल त्रिपाठी को गलत पाने पर तथा विद्यालय की पुताई का धन हड़प लेने व विद्यालय की टाट, फट्टी ले जाने पर निलम्बित करने के आदेश दिये और उनके स्थान पर एक अन्य अध्यापक की नियुक्ति भी कर दी। उस प्रधानाध्यापक द्वारा बनवायी गयी एक कक्षीय भवन की छत एक माह बाद टूट गई जो वर्तमान में जस की तस पड़ी हुई है। इस प्रकार संस्था द्वारा लगातार प्रयास करने से प्रधानाध्यापक के खिलाफ कठोर कार्यवाही संभव हो पाई और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो पाया, जिससे संस्था के प्रति ग्रामीणों का विश्वास और दृढ़ हुआ है।

बादा जागरण

1 अक्टूबर, 2004 दैनिक जागरण

शिक्षक आता नहीं, बेटा करता है हस्ताक्षर

अ.प्र. गिरवां

मनीपुर गांव के लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। समस्याओं से जूझ रहे इन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। हद की स्थिति तो यह है यहां तैनात शिक्षक अरसे से स्कूल नहीं आया। शिक्षक का बेटा सिर्फ पिता के हस्ताक्षर बनाने आता है।

कृष्णार्पित सेवाश्रम अतरां की पहुंची सर्वेक्षण टीम के समक्ष जगह-जगह एकत्र हो गये ग्रामीणों ने अपने दुखड़े रोते हुये न्याय और सहायता की गुहार लगायी। गांव के अधिकांश रास्ते टूटी पुलियों के कारण तथा खड़ंजा व नालियों के अभाव में नर्क का रूप लिये हुये है। इंदिरा आवास कालोनियों के वितरण में पात्र लोगों की उपेक्षा की गयी है। अन्त्योदय योजना के कार्ड धारकों के लिये गेहूं चावल कोटे में उपलब्ध नहीं है। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय का हेड मास्टर वर्षों से ड्यूटी नहीं कर रहा, उसका लड़का हफ्ते भर में आकर हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर कर जाता है। इसी विद्यालय के एक कक्षीय भवन की छत व फर्श टूट-फूट गयी है। भीम गिर चुकी है। कमरों का भी अभाव है। गांव से विद्यालयों के लिये खेतों के बीच से जाने वाला सेक्टर रोड अतिक्रमण के कारण पगडंडी बन चुका है और बच्चे घुटनों से कीचड़ पानी में चलकर पढ़ने जाते हैं। दोनों स्कूलों के नलों में गंध और कीड़ों युक्त पानी निकलता है। महियादीन की विधवा की निजी जमीन पर तालाब खुदवाने के बाद बायदे के अनुरूप प्रधान ने उसे भूमि का पट्टा नहीं किया। तत्कालीन उपजिलाधिकारी मैरनी के आदेश के बावजूद लेखपाल विधवा से सुविधा शुल्क मांग रहा है। ग्राम पंचायत भवन लावारिस हालत में पड़ा है। वहां जानवर बैठते हैं।

कृष्णार्पित सेवाश्रम के प्रबंधक डा. ओपी सिंह ने पीड़ित ग्रामीणों को विश्वास दिलाया है कि प्रशासन के समक्ष उनकी समस्याओं को पेश करके न्याय और राहतपूर्ण कार्रवाई करायी जायेगी।

राशन विसंगतियों के खिलाफ गरीबों का बिगुल बजा

● महुआ ब्लाक की ग्राम पंचायत काजीपुर केन किनारे के ऊबड–खाबड़ परिक्षेत्र में बसी हुई है। यह ग्राम पंचायत मडैयन, मुरादपुर, नई दुनिया आदि मजरों में बंटी हुई है। इस ग्राम पंचायत में ब्राम्हण, साहू, जमादार, कोरी, केवट आदि जातियाँ निवास करती हैं। इस ग्राम पंचायत में 75 प्रतिशत आबादी केवट बिरादरी की है। इनकी जीविका का मुख्य आधार मजदूरी, लकड़ी बेचना एवं कृषि कार्य है। महिलायें जंगल से लकड़ी काटकर आस–पास के कस्बों में बेंचती हैं। आजादी के 57 वर्ष बीत जाने के बावजूद यह ग्राम विकास की धारा से कटा हुआ है। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी ही दयनीय दशा है। यहाँ का ग़रीब दबंगों के चंगुल में फंसकर शोषण का शिकार है। कोई भी ग़रीब व्यक्ति उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने में डरता है, क्योंकि उन्हें हमेशा दबंगों का भय बना रहता है। आरक्षण व्यवस्था के बावजूद चुना गया प्रधान दबंगों के इशारे पर कार्य करता है, जिससे पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहते हैं। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दबंगों व उनके चहेतों तक सीमित रहता है। इस क्षेत्र में जबसे पैक्स परियोजना के तहत **कृष्णार्पित सेवाश्रम, अतर्रा** ने काम करना प्रारम्भ किया और ग़रीब समुदाय के साथ जुड़कर उनके बीच में विश्वास पैदा करने का प्रयास किया तब से धीरे–धीरे उनका जुड़ाव परियोजना के कार्यकर्ताओं से हुआ। ग़रीब समुदाय से जुड़े मुद्दों पर पहल प्रारम्भ की गई। इस क्रम में जानकारी मिली कि ग्राम पंचायत काजीपुर में 2001 में मात्र 5 बी0पी0एल0 व 3 अन्त्योदय कार्ड गरीब लोगों को मिले जबकि उस ग्राम पंचायत के नाम 405 बी0पी0एल0 व 93 अन्त्योदय कार्ड के गल्ले का उठान 2001 से हो रहा था, जिसका गल्ला कोटेदार गंगासागर अवस्थी व गोदाम प्रभारी द्वारा डकारा जा रहा था और ग्रामीणों को मात्र 3 अन्त्योदय व 5 बी0पी0एल0 कार्डों का गल्ला वितरित किया जा रहा था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए संस्था कार्यकर्ता विनोद सिंह द्वारा सूक्ष्म जानकारी संकलित की गई, चूंकि कोटेदार दबंग व्यक्ति था इसलिए उसके खिलाफ कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि ग़रीबों को भय था कि पता चलने पर यातनायें मिलेंगी, किन्तु संस्था कार्यकर्ता अपने प्रयास में संलग्न रहे। लक्ष्य समुदाय में विश्वास बढ़ाकर इस विसंगति के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसी क्रम में सुन्दी, सखिया, सुदामा, सावित्री, चुनबादी ने राशन का अनाज माँगा तो उक्त कोटेदार ने शराब पीकर गाली–गलौज की और कहा न गल्ला मिलेगा न तेल। वैसे भी कोटेदार प्रतिमाह तेल नहीं बाँटता था, अवशेष राशन सामग्री की काला बाजारी करता था। 10.10.04 की इस घटना से ग़रीबों में आक्रोश और तेज हुआ और संगठित होकर पहल करने का भाव भी जगा। उन्होंने जानकारी संस्था कार्यकर्ता को दी तो बिनोद सिंह ने कहा कि अपने अधिकारों को पाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। संस्था आपके बीच में सलाहकार के रूप में पूरा सहयोग करेगी। यह बात लोगों की समझ में आ गई और पहल के क्रम में बड़ेदेव बाबा एवं रन्जीत बाबा स्वयं सहायता समूह की अगुवाई में नरैनी जाकर उपजिलाधिकारी श्री कुन्जबिहारी अग्रवाल को राशन सम्बन्धी शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने इन महिला समूहों से शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया। दस दिन बीत जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोटेदार ने उपजिलाधिकारी महोदय को पैसा देकर मामले को दबवा दिया। इसी अवधि में संस्था ने पुनः एक जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उन महिलाओं ने पुनः अपनी समस्या उपजिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखी। उपजिलाधिकारी महोदय ने फिर शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, साथ ही इस बार इस समस्या को प्रिन्ट मीडिया के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया। इसके बावजूद भी कोटेदार पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिकायत करने पर उक्त दबंगों ने पुनः बच्चू, सन्तू, किशोरी, झिंगुरी, मुन्ना, बल्देव, विशाली को पुनः धमकाया किन्तु इस बार यह गरीब डरे नहीं और हिम्मत के साथ डटे रहे। संस्था के सहयोग से पुनः पत्रकार भ्रमण के दौरान समस्याग्रस्त लोगों का साक्षात्कार कराया गया।

दिनांक 21.12.04 से 28.12.04 तक यह समस्या समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई। अब कोटेदार घबड़ाया और सचिव कमलकिशोर की साठ–गांठ से फर्जी राशन कार्ड दिनांक 01.01.05 को बाँटना प्रारम्भ किया। सचिव के राशनकार्डों में हस्ताक्षर नहीं थे और प्रति राशन कार्ड 50 रु0 ग़रीबों से लिया जा रहा था। सूचना मिलने पर इन फर्जी राशन कार्डों का संकलन कर लिया गया व पीड़ित समुदाय के साथ बैठकर समस्या की जानकारी ली गई। ग्रामीणों ने पुनः समस्या के खिलाफ पहल करना प्रारम्भ किया। दिनां 08.01.05 को जिलाधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी को कोटेदार व सचिव के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। पुनः रमेश, कलावती, सन्ती, परशुराम, मनीराम, देशराज एवं रामरूप ने उपजिलाधिकारी महोदय नरैनी को प्रार्थना पत्र दिया व दिनांक 03.02.05 को आयुक्त महोदय चित्रकूट धाम मण्डल बांदा व दिनांक 04.02.05 को मीड़िया संवेदीकरण कार्यशाला में उक्त कोटेदार की समस्या को रखा गया। समस्या का प्रकाशन प्रमुखता से प्रिन्ट मीडिया व सहारा चैनल में 17 लाख के घोटाले का समाचार प्रसारित किया गया साथ ही सहारा चैनल ने जिलाधिकारी महोदय बांदा व जिलापूति अधिकारी से साक्षात्कार किया जिसका लगातार तीन दिन तक प्रसारण किया। इस प्रसारण के बाद प्रशासन द्वारा जिला पूति अधिकारी के माध्यम से जाँच कराई गई जिसमें ग्रामीणों ने प्रमाण सहित अपनी बात जाँच अधिकारी के समक्ष रखी। इस प्रकार जाँच अधिकारी ने तत्काल कोटा निलम्बित करने का आदेश दिया और उन गरीबों के 120 बी0पी0एल0 व 30 अन्त्योदय कार्ड बनवाये। तबसे नियमित रूप से ग्रामीणों को राशन सामग्री मिल रही है। इस घटना से क्षेत्र के गाँवों में राशन वितरण सेवायें नियमित हुई हैं।

फर्जी राशन कार्ड मामले ने तूल पकड़ा

एक्सप्रेस संवाद

अतर्रा(बांदा), 12 फरवरी। विगत दिनों देवी जी परिसर गिरवाँ में मीडिया संवेदीकरण और जन सुनवाई कार्यक्रम में काजीपुर गांव के ग्रामीणों को फर्जी बीपीएल व अत्योदय कार्ड जारी कर कोटेदारों द्वारा लाखों रूपए के राशन सामग्री का घोटाला करने का समाचार प्रिन्ट व इलेक्ट्रनिक मीडिया ने जोर-शोर से प्रकाशित किया। परिणामस्वरूप जिला आपूर्ति विभाग हरकत में आया। फिर क्या था गाडियों, जीपों, ट्रैक्टरों में राशन सामग्री भरकर रातोरात गेंहूं, चावल व अन्य सामग्री बाँट दी गई। संस्था कृष्णार्पित सेवाआश्रम के कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्र किये गये फर्जी कार्डों को दबाव बनाकर ले लिया गया। उन्हे ओरिजनल करके राशन सामग्री चढा दी गई। इस पूरे मामले में बडे राशन माफियाओं का हाथ होने के चलते मामले को दबाने के प्रयास किये जा रहें हैं। विभाग पूरे मामले की लीपापोती में लगा है।

❑ कोटेदार ने घर-घर जाकर बांटी राशन सामग्री

प्राप्त जानकारी के अनुसार काजीपुर गांव में सैकड़ो फर्जी राशन कार्ड अन्त्योदय व बीपीएल बनाकर ग्रामीणों को बाँट उस पर विभाग की मिली भगत से लाखो रूपये का घोटाला किया जा चुका था मरन्तु मामला मडिया द्वारा प्रकाश में आने पवर जिले में तहलका मच गया। राशन समग्री का वितरण तत्काल कर दिया और उन सभी फर्जी राशनकार्डो को पुनः एकत्र कर ओरिजनल करने के प्रयास किये जा रहे है। जिलापूर्ति अधिकारी तीन इन्सपेक्टर के साथ स्वयं अपनी टीम लेकर मौके पर जाँच करने गये साथ में उपजिलाधिकारी नरैनी भी मौजूद रहें। जाचोंपरानत कोटेदार को दोषी पाया गया और ततकाल प्रभाव से उसकी दुकान को निलंबित कर खानपुर से अटैच की गई मौके पर पहुँचे उपजिलाधिकारी नरैनी ने सचिव को भी दोषी मानते हुए मुख्य विकास अधिकारी सहित खण्ड विकास अधिकारी को पत्र लिख कार्यवाही करने की संस्तुति की है।

ये तो एक उदाहरण मात्र मामला है जो मीडिया की वजह से प्रकाश में आया है अन्यथा कितने ही ऐसे कोटेदार व राशन माफिया है जो शासन प्रशासन की नांक के नीचे राशन सामग्री की बलैकमेलिंग कर लाखों का चूना रोज लगा रहें है। जरूरत है जनआवश्यक्ताओं से संबंधित विभागों के ईमानदारी पूर्ण समर्पित होकर जनसेवक की भांति सेवा करने है।

कई वर्षों बाद मिला भूमि पर कब्जा

● जैतपुर ब्लाक का प्रसिद्ध ग्राम मबईया जो अपने छल–बल के प्रभाव से पूरे कुलपहाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमेशा से ही बाहुबलियों का राज चला आ रहा है। इस गाँव की सामन्ताशाही प्रथा को देखकर प्रशासन भी हस्तक्षेप करने से कतराता रहता है। ग़रीब हमेशा निराश अवस्था में दिहाड़ी करके अपना पेट पाल रहा है। आज भी यहाँ के लोगों की भूमि पर दबंगो का कब्जा बरकरार है किन्तु ग़रीब अपनी आवाज उठाने से डरता है। चूँकि वह यह जान चुका है कि लाचार प्रशासन व्यवस्था उनका कुछ नहीं कर सकती। शिकायत के बदले ग़रीबों को गाली–गलौज मिलती है तथा प्रशासनिक कर्मियों की दबंगो द्वारा जेब भरी जाती है। इस अवस्था में भी **अरुणोदय संस्थान महोबा** ने ग़रीबों के बीच पहुंचकर उन्हें जगाने का कार्य जारी रखा । प्रारम्भ में जब कभी भूमि सम्बन्धी बाते हुआ करती थीं तो भय से गरीब कहते थे, हम खुश हैं परन्तु धीरे–धीरे संस्थान ने उनका विश्वास बढ़ाया जिसमें कुछ थोड़े से लोगों ने दबी कुचली आवाज में ही बताया कि विगत कई वर्षों से हमें हमारी भूमि नहीं मिल रही है। हमारी ज़मीन का पट्टा हुआ है परन्तु उसका लाभ दूसरे लोग ले रहे हैं। इसी समय संस्थान ने जैतपुर में जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा। यह कार्यक्रम दिनांक 20.12.04 को माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में किया गया था। संस्थान के कार्यकर्ता साथियों ने मवईया ग्राम के लोगों को जागृत करने का काम किया जिसमें गांव के कुछ लोगों ने मंच पर आकर अपनी समस्याओं को बताया और अपने ऊपर बीत रही आप–बीती को सुनाया। सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद मा0 जिलाधिकारी जी ने सभी लेखपालों को फटकारा और कहा कि पुलिस दल–बल के साथ जाकर जल्द ही इनका फैसला करो और हमें भी इनकी स्थिति से अवगत कराओ। इस कार्यवाही का परिणाम तुरन्त प्राप्त हुआ और मवईया के निवासी श्री मेखचन्द्र, श्री दयाराम, श्री मंहगू तथा श्री नन्दराम को अपनी भूमि पर कब्जा प्राप्त हुआ। इन्होने बताया यदि पुलिस न होती और मौके पर न आती तो किसी भी हालत में लेखपाल भूमि की नाप न करवा पाता और हम लोग हमेशा की तरह भूमिहीन बने रहते। भूमि नाप में मंहगू को 0.289 हेक्टेयर, दयाराम को 0.014 हेक्टेयर, नन्दराम को 0.405 हे0 और खेमचन्द को 0.265 हे0 भूमि पर कब्जा मिला। इस प्रकार कब्जा से वंचित इन व्यक्तियों को जीवन–यापन का सशक्त आधार भूमि प्राप्त हो सकी।

भूमि मुद्दों का दुरुस्तीकरण एवं पैरवी कार्यशाला में ग्रामीण अपनी समस्यायें बताते हुए।

सतत् पैरवी से 39 परिवारों को मिला अपनी भूमि पर कब्जा

● ग्राम पंचातत गंज की स्थिति इस प्रकार है जैसे की भारत के नक्शे में श्रीलंका की स्थिति है। जी हाँ इस ग्राम पचांयत में पहुंचने के लिए 15 कि0मी0 मध्यप्रदेश का सफर तय करना पड़ता है। उसके बाद भी यह ग्राम पंचायत चारों ओर से मध्य प्रदेश से घिरी हुई है। क्षेत्र की इसी विषमता के कारण कोई भी प्रशासनिक कर्मी गांवों में जाने से भय खाता है। **अरुणोदय संस्थान महोबा** ने इस दुर्गम कठिन क्षेत्र में जिसमें कि न्याय पंचायत खमा सहित चार अन्य ग्राम पंचायते पठारी, चमरूआ, गंज और धवर्रा को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। इस क्षेत्र मे जो दबंग परिवार के लोग हैं, वह दोहरी नागरिकता का लाभ उठाते हैं। मसलन मकान मध्यप्रदेश में और खेत उत्तर प्रदेश में इसके चलते दोनों प्रदेशों की सुविधाओं का लाभ भी उठाने से नहीं चूकते। अगर यहाँ के पुलिस चौकियों और थानों का रिकार्ड देखें तो यहां रामराज ही प्रतीत होता है। लेकिन यहां के दलितों को देखने से प्रतीत होता है कि वह कितने स्वतन्त्र हैं।

संस्थान ने 1 अप्रैल 2003 से इस क्षेत्र में अपने पांव पसारने प्रारम्भ किये और शुरूआती दौर में आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर यहाँ की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। यहाँ का आलम यह था कि संस्थान कार्यकर्ताओं से कोई भी अपनी समस्या तक बताने के लिए तैयार नहीं था। संस्थान साथियों ने हिम्मत नहीं हारी और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से निरन्तर इनसे सम्पर्क बनाये रखा। नवम्बर, 2004 को सूचना शिक्षा शिविर के दौरान एक दलित महिला पुनिया बाई ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुये बताया कि उसकी पट्टे की ज़मीन पर उसे आज तक कब्ज़ा नहीं मिला, जिसपर उसके परिवार वालों ने उसे दबाने का प्रयास भी किया। बस क्या था यहीं से संस्थान को इनके मध्य प्रवेश करने का एक अवसर दिखाई दिया तो धीर–धीरे साथियों ने इन्हें कुरेदना प्रारम्भ किया तो 15 दिनों बाद पता चल सका की इस प्रकार की समस्या केवल पुनियाबाई की ही नहीं, अपितु यहाँ के 38 अन्य दलित परिवार भी समस्याओं से ग्रसित हैं। संस्थान ने इन्हीं सब समस्याओं को लेकर 30.12.03 को चिन्तामणी विद्यालय कुलपहाड़ में निवर्तमान जिलाधिकारी माननीय एस0पी0 दीक्षित की अध्यक्षता में एक जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया और उसमें अपनी बात रखने के लिए यहाँ के लोगों की मानसिक तैयारियाँ भी की गईं। इन दलित परिवारों ने भारी साहस जुटाते हुए जनसुनवाई शिविर में जिलाधिकारी को अपने प्रार्थना पत्र सौंपे, जिसमें न्याय प्रिय जिलाधिकारी महोदय ने विलम्ब न करते हुए तत्काल उपजिलाधिकारी कुलपहाड़ को पट्टों के सत्यापन कराने के आदेश जारी किये, जिसमें 7 दिन के अन्दर पट्टों की नाप करवाकर रिपोर्ट देने को कहा लेकिन उपजिलाधिकारी कुलपहाड़ मिलने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की। संस्थान ने दिनांक 21.1.2004 को एक पत्र पुनः उपजिलाधिकारी को हांथो–हांथ सौंपा, लेकिन उस पत्र के देने के बावजूद भी आगे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। सके बाद संस्थान कार्यकर्ता लगातार तहसीलदार कानूनगो, लेखपाल से मुलाकात करते–करते एक कानूनगो से पूछा कि आप पट्टों की नाप क्यों नहीं करवा रहे, तो उनका जवाब यह था कि हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं है, तब कार्यकर्ता ने कहा कि आपके लिये आदेश जारी हो गये हैं, जो कि तहसील कार्यालय के आशुलिपिक के पास उपलब्ध हैं, उससे आप ले लीजिये। दूसरे दिन लेखपाल से मिलने पर अवगत हुआ कि आदेश मिल गया है, तथा नाप करवाने चलना है। इतना अवगत होने पर संस्थान कार्यकर्ता दिनांक 5.2.2004 को लेखपाल के साथ ग्रम गंज में हरिजनों के पट्टों की नाप करवाने गये, नाप चल ही रही थी कि गांव के ही पूर्व प्रधान श्रीमती बेबीराजा ने बीच में आकर अवरोध उत्पन्न करते हुए कहा कि लेखपाल साहब आप यह बतायें कि जिस जगह पर आप नाप कर रहे हैं, क्या वह सही है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार से जगह का पता नहीं चल पा रहा है, कि कौन सा

प्लाट नं0 किसका है? जिससे बाद में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इतना होने के पश्चात संस्थान के कार्यकर्ताओं ने लेखपाल से पूंछा कि आप सही जगह क्यों नहीं बता रहे हैं तो लेखपाल ने जवाब दिया कि मेरे पास नाप सम्बन्धित पत्रावली नहीं है, तो संस्थान के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप पत्रावली निकालकर हमें सूचित करते हुए बतायें कि किस दिन नाप करवाने जाना है। इतना होने के पश्चात हम वापस लौट आये।

इसके बाद लेखपाल द्वारा सूचना देने पर दिनांक 7.2.2004 को पुनः पट्टों की नाप करवाने गंज गये और 11 बजे दिन में पट्टों की नाप शुरू की गई। थोडी देर नाप चलने के पश्चात गांव के दबंग चन्द्रभान मिश्रा वहाँ पर आ गये, क्योंकि उनको लेखपाल द्वारा सूचना पहले दे दी गई थी। लेखपाल उस दबंग से पैसा पहले ले चुका था, जिसने नाप नहीं करवाने दिया और कहने लगा कि इस ज़मीन पर मेरा कब्जा है और न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है कहने लगा कि यहां से चले जाओं नहीं तो इस जगह पर खून–खराबा हो जायेगा, जिसके लिए जिम्मेदार आप लोग होंगे। इतना कहने पर नाप रोक दी गई और हम सब लोग बिना नाप कराये ही लौट आये। कुलपहाड़ आकर जब न्यायालय में पता लगाया गया कि गाटा सं0 227/4 में क्या मुकदमा चल रहा है तो पता चला कि उक्त संख्या पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। इतना ज्ञात होने पर दोबारा जब लेखपाल से कहा गया कि आपको नाप करवाने चलना है तो लेखपाल ने बहाना बनाकर कहा कि इस समय चुनाव सम्बन्धित कार्य के कारण समय नहीं है। इसलिए मैं चुनाव तक नाप नहीं करवा सकता। इस बात की जानकारी संस्था कार्यकर्ता ने जिलाधिकारी को कराई। जिलाधिकारी ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए तुरन्त परगना अधिकारी को नाप करने के लिए आदेशित किया जिस पर तहसीलदार ने संस्थान में आकर निवेदन किया तथा 5.2.2004 तक का समय मांगा और कहा कि निर्वाचन पत्रावली का कार्य पूरा होने पर नाप करवा दूंगा। इस प्रकार से गंज ग्राम पंचायत के 39 परिवारों के नाप का प्रकरण काफी समय तक रुका पड़ा रहा।

इस पर संस्था ने मीडिया के माध्यम से उक्त प्रकरण की पैरवी प्रारम्भ की। मीडिया ने भी इस कार्य में पूरा सहयोग देते हुए प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जिस पर प्रशासन के कान खड़े हुए और जिलाधिकारी ने अविलम्ब उपजिलाधिकारी कुलपहाड़ से स्पष्टीकरण मांगा, जिस पर उपजिलाधिकारी ने संस्थान से सम्पर्क कर पुनः नाप करने के आदेश 5.5.2004 को कानूनगो को दिये। निर्धारित तिथि पर जब कानूनगो नाप करने पहुंचे तो दबंगो ने नाप की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की जिस पर कानूनगो ने दूसरे दिन अजनर थाने से पुलिस कर्मियों को और तहसीलदार के संरक्षण में जाकर नाप की प्रक्रिया पूर्ण की और इस प्रकार इन दलित परिवारों को अपनी सही जगह का पता चल सका और अब यह परिवार अपने पट्टे का उपयोग कर रहे हैं।

जनसुनवाई में ग्रामीणों की समस्यायें सुनते जिलाधिकारी श्री एस0पी0दीक्षित

ग्राम गंज में भूमि माप करता लेखपाल एवं संस्था कार्यकर्ता

कबूतरा समुदाय की महिलाओं ने लिया मोर्चा

● कबूतरा आदिवासी वर्षों से जैतपुर विकासखण्ड के मनचलों और दबंगो के शोषण का शिकार होते चले आ रहे हैं। कबूतरा समुदाय की महिलाओं के लिए अपनी अस्मत, अपनी इज्जत और बच्चियों को अपना कौमार्य बचाना भी एक टेढी खीर बन गया है। क्षेत्र के दबंग और मनचले कबूतरा बस्ती को सिर्फ और सिर्फ अपनी मौज–मस्ती का एक केन्द्र समझते हैं और इन दबंगो को निरीह कबूतरा महिलाओं में शराब और शबाब का मिश्रण दिखाई देता है और यह दबंग कब किसको अपना शिकार बना लें कुछ भी सोचना बहुत ही मुश्किल है। कबूतरा समुदाय के इतिहास में प्रथम बार इस समुदाय की निरीह महिलाओं ने अपने ऊपर हो रहे अत्यारों के विरुद्ध एक साथ संगठित होकर आवाज उठाकर महिला जागृति का शुभ सन्देश भेजा है। गौरतलब है कि इन गरीब, मुफलिस समुदाय के पास दो वक्त की रोटी के लिये सिर्फ कच्ची शराब बनाकर बेंचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये परिवार पूर्णतः भूमिहीन और सरकारी अथवा गैरसरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। जैतपुर विकासखण्ड में कई स्थानों पर इन समुदायों के छोटे–छोटे परिवार जंगलों और तालाबों के किनारे अपने–अपने आशियाने बनाये हुए हैं। इन्हें सरकार ने कुछ आवासीय पट्टे जरूर उपलब्ध कराये हैं लेकिन वह सिर्फ नाम के लिये हैं। इनकी महिलाएं और बच्चे निश्चित रूप से असुरक्षित जीवन व्यतीत करने के लिये मजबूर हैं। नाम न छापने की दुहाई देकर कुछ महिलाओं ने बताया कि हमारी बस्ती में एक दबंग परिवार से सम्बन्धित दो मनचले शराब पीते हैं और पूर्णतः अय्याशी करने को तत्पर रहते हैं। यदि इस बस्ती से कोई विरोध करने की कोशिश करता है तो उसको मार–पीट कर उसका दमन कर दिया जाता है। कुछ महीने पूर्व से **अरुणोदय संस्थान** की दीदी और पुरुष कार्यकर्ताओं की होने वाली बैठकों में मन बना लिया कि हम सभी मिलकर इनका विरोध करेंगे। लेकिन हममे से कोई भी आगे आने को तैयार नहीं हो रहा था। इसी दौरान 30 जून, 2004 दिन बुधवार को इन मनचलों ने अपनी निकृष्ट हरकतों की अति ही कर दी, जैसे ही इन दबंग मनचलों ने शराब पीकर हमारे समुदाय की एक महिला के शरीर से जबरन छेड़छाड़ करने की कोशिश की उस समय हमारे डेरे में कोई भी पुरुष नहीं था, फिर भी हम सभी महिलाओं ने इकट्ठा होकर अपने बचाव और उस नीच दबंग को सीख देने की गरज से जोरदार लाठी, डण्डों और चप्पलों से स्वागत कर दिया। इस अप्रत्याशित स्वागत से घबराये दबंग मनचले किसी प्रकार भागने में सफल हो गये और जाते–जाते हम लोगों को जान से मारने की धमकी भी दे गये। इसके बाद उसी दिन शाम को हमारे परिवार का एक लड़का श्यामलाल (11 वर्ष) जो कि बाजार से दैनिक उपयोग की सामग्री लेकर लौट रहा था इन दबंगों का शिकार बना। उसका सारा सामान छीन लिया गया और उस बालक की निर्ममतापूर्वक पिटाई की गई, वह किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर भागकर डेरे में आ सका। उक्त बालक ने जब आपबीती बताई तो हमारी आत्मा ने हम सभी को प्रेरित किया और हम सभी ने पंचायत करके निर्णय लिया रोज–रोज के मरने से अच्छा तो एक दिन मर जाना है और हम लोग उक्त बालक को लेकर थाने पहुंच गये और रिपोर्ट लिखवा दी। थाने पहुंचने पर पुलिस का व्यवहार हम लोगों के लिये बहुत ही अपनत्व भरा हुआ था, नहीं तो इससे पहले पुलिस हमेशा हम गरीबों से अवैध वसूली करती रही और किसी की भी उचित शिकायत करने के बाद भी हम लोगों को उल्टा फांसने के लिये डराती और धमकाती रही, लेकिन उस दिन की शिकायत से पुलिस ने हम अनाथों से ऐसा व्यवहार किया जिससे की हम लोगों को लगने लगा कि सरकार अब हम प्राणियों को भी इंसान का दर्जा देने का मन बना चुकी है। थानाध्यक्ष ने हम लोगों की समस्या सुनकर सिर्फ 24 घण्टों में उन दबंग मनचलों को थाने बुलकार पीटा और हम सभी के सामने उनसे माफी भी मँगवायी। इस प्रकार अगर प्रशासन इन निर्दोष आदिवासियों के साथ न्याय करता रहा तो निश्चित ही ये आदिवासी आम नागरिकों के समान जीवन यापन करने में सफल हो जायेंगे।

बच्चे की पिटाई के विरोध में एकत्र होती, कबूतरा समुदाय की महिलाएँ

पचिया की हुई जीत

● जैतपुर न्याय पंचायत से लगभग 15 किमी0 दूर ग्राम–खिरिया कला की निवासी श्रीमती पचिया पत्नी श्री प्यारेलाल बसोर, अत्यन्त निर्धन अवस्था में अपना जीवन यापन कर रही थी। इनका काम था रोजमर्रा की मजदूरी। **अरुणोदय संस्थान** ने जब इनके गांव में पहल करना प्रारम्भ किया तब पता चला कि इस गांव में दबंगो की दबंगई कई वर्षो से लगातार बरकरार है। ग्राम भ्रमण के दौरान बसोर बस्ती में जाते ही श्रीमती पचिया से सम्पर्क हुआ, उन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन पर बाहुबली पूंजीपति अपना कब्जा जमा चुके हैं। प्रत्यक्ष स्थिति को देखकर पता चला कि वास्तव में लोगों ने रोड़ से लगे हुए पचिया के खेत में नीव खोद डाली थी। इसी स्थिति से अवगत होते ही संस्थान द्वारा तत्काल एस0डी0एम0 कुलपहाड़ को पत्र द्वारा सूचित किया गया। माननीय एस0डी0एम0 साहब ने लेखपाल को पुलिस दल के साथ जाने का आदेश दिया। दूसरे दिन लेखपाल महोदय पहुंचे और मौके पर उन लोगों को मना किया। परन्तु उसके दूसरे दिन ही दबंगों ने अपना काम पुनः प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने पुनः नीव भरना प्रारम्भ किया। यह देखकर पचिया ने उन्हें मना करने का पुनः प्रयास किया, परन्तु इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन लोगों ने पचिया को गाली–गलौज कर भगा दिया। वह रोती विलखती पुनः संस्थान आई। उसने कई लोगों से साथ देने को कहा किन्तु कोई भी व्यक्ति उसका साथ देने को तैयार नहीं हुआ। संस्थान पहुंचकर उसने सब हाल बताया। संस्थान कार्यकर्ताओं ने पुनः थानाध्यक्ष, एस0डी0एम0 तथा डी0एम0 को पत्र द्वारा सूचित किया, जिससे तुरन्त कार्यवाही की गई। पुलिस ने जाकर तुरन्त काम को रुकवाया, लेखपाल द्वारा सही नाप कराई गई जिससे दबंगो को हार माननी पड़ी तथा ग़रीब पचिया की भूमि बच गई। आज वह खुश होकर अपनी भूमि पर कृषि कार्य कर रही है। इसी प्रकार के कार्यों तथा संस्था के प्रयासों से निर्धन असहाय लोगो को बल मिला है तथा वे जागरूक हुए हैं एवं अपने हकों के लिए लड़ने को तैयार हुए हैं।

गरीब पचिया भूमि पाकर खुश है।

पंचायत ने सुलझाया 72 एकड़ ज़मीन का मुद्दा

● ग्राम पंचायत थुरट जैतपुर विकासखण्ड मुख्यालय से 11 किमी0 दूर पहाड़ो के नीचे बसा हुआ प्राकृतिक सम्पदाओं से परिपूर्ण गाँव है। इस गांव में ठाकुरों का बाहुल्य है। आज भी इस गांव के लोग ठाकुरों की बात मानते हैं। अप्रैल 2003 में **अरुणोदय संस्थान** के कार्यकर्ताओं का पैक्स परियोजना के तहत इस गांव में आना–जाना शुरू हुआ। संस्थान ने सर्वप्रथम इस गांव में सघन रूप से सम्पर्क कर, बैठके करके, परिवारशः सर्वेक्षण करके गांव में दलित समुदाय के साथ अपनी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की और इस गांव में समस्याओं के प्रति लोगों को संवेदित करने का क्रम शुरू किया। लेकिन ठाकुरों का आतंक होने के कारण प्रधान सहित गाँव के अन्य दलित अपना मुँह खोलने में कतराते थे। पंचायत में नाम मात्र के लिए हरिजन प्रधान थी। प्रधानी, उपप्रधानी जो कि ठाकुर समुदाय से थे, उनकी चलती थी। कोई भी निर्णय प्रधान को स्टाम्प पैड मानकर लिया जाता था। संस्थान ने लोगों का साहस बढ़ाने के लिए पहले यहां के दलित समुदाय के बीच से कुछ लोगों को चिन्हित करके महिलाओं और पुरुषों का समूह गठित किया और उन्हें विभिन्न शिविरों और प्रशिक्षणों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया। पत्रकारों को क्षेत्र का भ्रमण कराया, समस्याओं का प्रकाशन कराकर वितरण प्रणाली आदि में सुधार करवाया जिसके चलते दलितों में विश्वास जागा और प्रधान एवं पंचायत सदस्यों का भी साहस बढ़ा और दिसम्बर 2003 में प्रधान द्वारा दबाव में आकर किये गये 72 एकड़ पट्टों का मुद्दा ग्राम पंचायत सदस्य छत्रपाल अहिरवार ने उठाया और उसने 30 दिसम्बर 2003 को कुलपहाड़ में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदय से पट्टों की शिकायत की जिस पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिये। लेखपाल सुरेश चन्द्र अग्निहोत्री का स्थानान्तरण किया गया जिस पर प्रधान में और अधिक साहस जागा और वह अपात्रों को पत्रावली से हटाने हेतु तैयार हो गया और उनके स्थान पर अन्य भूमिहीनों को शामिल करने को तैयार हुआ। इस प्रकार से थुरट ग्राम पंचायत में 72 एकड़ भूमि का सही लोगों में वितरण सम्भव हुआ। लेखपाल द्वारा समस्त परिवारों को भूमि नापकर कब्जा दे दिया गया है।

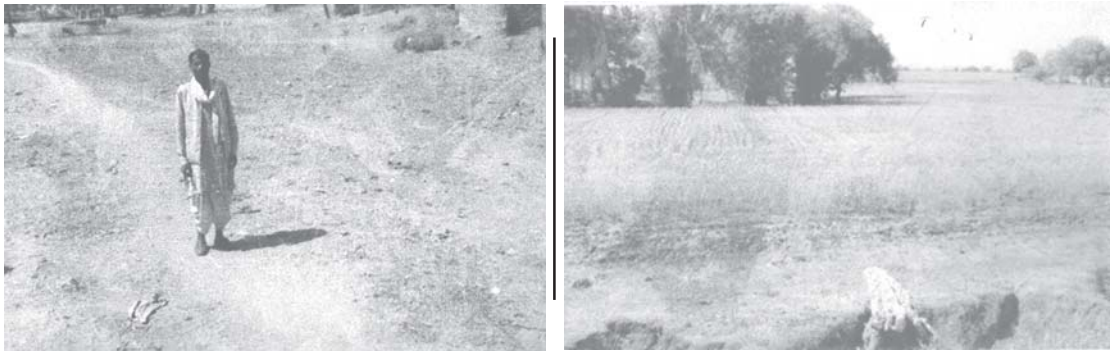

ग्राम प्रधान द्वारा अपात्रों को हटाकर पात्रों को पट्टे किए गये

मुलुवा को मिली बैंक के फर्जी ऋण से मुक्ति

● हमीरपुर जनपद के मौदहा ब्लाक के भुलसी न्याय पंचायत का छानी ग्राम केन नदी के किनारे पर बसा है। मुलुवा पुत्र महिपाल यादव ग्राम छानी का निवासी है। यह अन्यन्त गरीब किसान है। वह अपने तथा अपने परिवार का कृषि करके भरण–पोषण कर रहा है। सन 2001 में एक दर्दनाक घटना ने उसके जीवन में कहर ढा दिया, जब उसे मालूम चला कि उसके नाम पर 40 हजार का फर्जी ऋण छत्रसाल ग्रामीण बैंक सिसोलर से उसकी पुस्तैनी जमीन को बन्धक रखकर निकाल लिया गया है। इसकी जानकारी उसे लेखपाल के द्वारा मिली, जब वह मौदहा तहसील अपने खेतों की खसरा खतौनी लेने गया तो लेखपाल ने बताया कि आपकी जमीन छत्रसाल ग्रामीण बैंक में बन्धक है। इसकी जानकारी लेने के लिए वह छत्रसाल ग्रामीण बैंक सिसोलर आता है। लेकिन उसको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन जब 1 साल बाद सन 2002 में उसके नाम आर0सी0 आती है तो उसे पता चलता है। वह हताश निराश होकर दर–दर अपने न्याय के लिए भटकने लगता है। सन् 2003 में जब **अन्त्योदय संस्थान सिसोलर, हमीरपुर** द्वारा सभी ग्राम पंचायतो का सर्वेक्षण करने का अवसर आता है, तभी संस्थान कार्यकर्ता छानी ग्राम पंचायत जाते हैं। वहाँ पर प्रत्येक घर का सर्वेक्षण किया गया तो लोगो को जानकारी हुई कि संस्थान किन–किन उद्देश्यो को लेकर कार्य कर रहा है। लोगो ने मुलुवा पुत्र महिपाल यादव को सूचित किया कि तुम अन्त्योदय संस्थान कार्यालय जाओ क्योंकि संस्थान पैरवी का कार्य कर रहा है।

मुलुवा पुत्र महिपाल यादव ने संस्थान कार्यालय आकर अपनी सारी व्यथा सुनायी। व्यथा सुनाते ही उसकी आखो में आंसू आ गये। तभी संस्थान द्वारा 31.11.03 को उसका प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष छत्रसाल ग्रामीण बैंक, उरई तथा छत्रसाल बैंक सिसोलर के चेयरमैन को रजिस्ट्री की गयी। इस रजिस्ट्री को छत्रशाल ग्रामीण बैंक सिसोलर के शाखा प्रबन्धक द्वारा पोस्टमास्टर से लेकर फाड़ा गया और उस रजिस्ट्री में दूसरे कागजात भरे गये। इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में संस्थान को गुप्त जानकारी प्राप्त हुई। तभी संस्थान मंत्री श्री संजय पोस्टमास्टर से मिले और डाक कर्मियों को धमकाया तथा कहा कि यदि आप लोग ऐसा किसी ग़रीब के प्रति करोगे तो हम आपके विरुद्ध में कार्यवाही करेंगे, तो पोस्टमास्टर ने अपनी गलती को स्वीकारा और कहा कि मै कभी भी ऐसी गलती नही करूँगा। तत्पश्चात शाखा प्रबन्धक श्री सुनील पालीवाल से भी सम्पर्क किया। पहले तो शाखा प्रबन्धक ने संस्थान कार्यकर्ताओं को धमकाने का प्रयास किया एवं देख लेने की धमकी दी, किन्तु जब संजय ने उनसे कहा कहा कि मैं आपके विरुद्ध बैंकिग लोकपाल एवं सम्बन्धित अधिकारियों को आज ही फैक्स द्वारा सूचित करता हूँ , इस पर बैंक प्रबन्धक नरम पड़े तथा विश्वास दिलाया कि एक सप्ताह के अन्दर उसका पूरा पैसा वापस कर दूँगा तथा उसकी जमीन भी बन्धक से मुक्त करा दूँगा। एक सप्ताह बाद बैंक मैनेजर ने उसका स्वयं पूरा पैसा जमा किया और मुलुवा पुत्र महिपाल को ऋण अदायगी की रसीद आदि देकर ऋण मुक्त किया। आज वह अपने परिवार के साथ कृषि कर अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहा है और संस्थान के प्रति कृतज्ञ है। संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों में उसकी सहभागिता रहती है। संस्थान को वह अपना सबसे बड़ा हितैषी मानता है।

शोषण के खिलाफ एक सफल प्रयास

● हमीरपुर जनपद के मौदहा ब्लाक में अन्त्योदय संस्थान ने जुलाई 2002 से ऐसे क्षेत्र में कार्य करना प्रारम्भ किया, है जिसे चौबीसी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र चन्द्रावल एवं केन नदी के मध्य रचा बसा है। यह क्षेत्र चौबीसी क्षेत्र के नाम से इसलिए जाना जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र सामन्तशाहों का गढ़ है। यहां का दलित समुदाय दरवाजे में चारपाई डालकर बैठने को भी तरसता है। ग़रीबों के साथ अनेक प्रकार के अत्याचार आये दिन होते रहते हैं ईश्वर का बरदान समझकर सब कुछ सह लेते हैं।

ऐसे क्षेत्र में **अन्त्योदय संस्थान, सिसोलर (हमीरुपर)** द्वारा अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान शाखा–सिसोलर पैक्स कार्यक्रम के अन्तर्गत अप्रैल 2003 से महिला सशक्तीकरण, पंचायत सशक्तिकरण एवं जनपैरवी का कार्य कर रहा है। अप्रैल 2003 में सर्वेक्षण के दौरान एक ऐसी महिला से मुलाकात होती है, जो सिसोलर ग्राम पंचायत के मजरा खदरा डेरा की निवासिनी है। शोषित महिला ने रो–रोकर अपनी व्यथा सुनाई कि मेरा ससुर स्व0 श्रीराम कृपाल निषाद मौदहा निवासी शकील मुहम्मद (बच्चा) चौधरी पुत्र श्री स्माइल चौधरी जाति मुसलमान से 10,000 रु0 लिये थे, जिससे बच्चा ने मेरे ससुर को बंधुआ बना लिया। पांच साल तक मेरे ससुर ने बच्चा के घर पर काम किया, किन्तु कर्ज ज्यों का त्यों ही बना रहा। जब मेरे ससुर वृद्ध हो गये तो बच्चा चौधरी मेरे पति श्री रामाधीन को भी जबरदस्ती ले गया। एक दिन बच्चा चौधरी ने मेरे वृद्ध ससुर को मारा–पीटा, इसकी सूचना मेरे पति को नहीं दी गयी, तथा प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया गया। कमजोर एवं वृद्ध ससुर की मृत्यु हो गयी। जब मेरे पति ने बच्चा से कहा तो उसने मेरे पति को भी गाली–गलौज की एवं मारपीट की। मेरा पति जान बचा कर वहाँ से भाग आया। उक्त दबंग व्यक्ति से मेरा पति डरकर इधर–उधर छिपकर जान बचाये घूमता रहा। कई बार बच्चा चौधरी अन्य दबंगो को लेकर घर पर धावा बोलता रहा, तथा पुनः मेरे पति को जबरदस्ती पकड़कर ले गया।

प्रताड़ित महिला की दर्दनाक कहानी को सुनकर संस्थान ने सहयोग का आश्वासन दिया तथा 22 मई 2003 को माननीय जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजा। जिलाधिकारी महोदय ने बच्चा चौधरी उर्फ शकील मुहम्मद के नाम कार्यवाही शुरुकर दी। जब बच्चा चौधरी को इस बात का पता चला तो उसके होस उड़ गये तथा उसने समझौता करने का प्रयास शुरुकर दिया। 20 जून, 2003 को बच्चा चौधरी अपने कुछ साथियों के साथ रामाधीन को लेकर उसके घर ग्राम खदरा में छोड़ दिया तथा राजेन्द्र प्रसाद, रामसनेही, जयकरन, रामबहादुर, जागेश्वर, रामभजन, प्रेमलाल आदि के सामने राजीनामा पत्र में लिखा कि रामाधीन पुत्र स्व0 श्री रामकृपाल निषाद के पास मेरा कोई भी कर्ज़ नहीं है। अब सुमन अपने पति तथा बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। सुमन का परिवार संस्था के प्रति कृतज्ञ है। उसका परिवार संस्था की गतिविधियों में बराबर सहभागिता निभाता है, साथ ही अन्य पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं से भी संस्थान को समय–समय पर अवगत कराता रहता है। सुमन एवं उसका पति स्वयं भी ग़रीबों की पैरवी के लिए बराबर प्रयासरत रहता है।

बैंक के फ़रेब से बच गये अँगूठा छाप

● मानिकपुर ब्लाक से 2 किमी0 दूर सुअरगढ़ा नाम का उत्तर दिशा मे गाँव बसा है । यह गाँव ग्राम पंचायत चुरेह केशरुआ का एक मजरा है। यह गाँव कोल बाहुल्य गाँव है। उक्त गाँव के लोगो ने संचालित किसान क्रेडिट कार्ड के तहत शाखा तुलसी ग्रामीण बैंक उमरी में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाये। किसान क्रेडिट कार्ड की धनराशि निकलवाने में धाँधली की गयी। **पाठा कोल विकास समिति** का एक कार्यकर्ता स्वयं सहायता समूह की बैठक करने हेतु गाँव गया था। बैठक के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि हमारे गाँव के निम्नलिखित व्यक्तियों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया था, जिसमें फील्ड आफीसर ने पुराने ऋण में किसान क्रेडिट कार्डो का पैसा काट लिया है। महिलाओं ने यह भी बताया कि ऋण अदायगी की कोई रसीद लाभार्थियों को नहीं दी गयी है। सामुदायिक कार्यकर्ता श्री रामविशाल ने सम्बन्धित व्यक्तियों से सम्पर्क करके स्थिति की जानकारी ली। कार्यकर्ता ने भुक्तभोगियों को जानकारी दी कि ग्राम ऊँचाडीह में समिति द्वारा समस्या समाधान शिविर आयोजित है। आप समस्या समाधान शिविर में इस घटना की जानकारी दें। भुक्तभोगियो ने अपनी पीड़ा को समस्या समाधान शिविर में रखा। इस शिविर में एडवोकेट, कमला प्रसाद लेखपाल, मौजा चुरेह केशरुवा एवं पाठा कोल विकास समिति के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एडवोकेट को किसान क्रेडिट कार्डो के विषय में जानकारी दी गयी। एडवोकेट ने भुक्तभोगियों को न्याय के लिए आश्वासन दिया। इसके पश्चात दिनाँक 27.2.2005 को सामुदायिक कार्यकर्ता रामविशाल द्वारा समस्या समाधान हेतु जिलाधिकारी जनपद चित्रकूट को प्रार्थना पत्र दिया गया। अभी तक समस्या का समाधान नहीं मिल सका। इसके बाद दिनांक 29.3.05 को वर्तमान सांसद महोदय श्री श्यामाचरण गुप्त जी होली मिलन समारोह में मानिकपुर आये। पाठा कोल विकास समिति के सामुदायिक कार्यकर्ता रामविशाल ने माननीय श्यायामचरण जी को समस्या समाधान हेतु भुक्तभोगियों का प्रार्थना पत्र दिया। सांसद महोदय मानिकपुर ने मानिकपुर थाने को भुक्तभोगियों के साथ धोखाधड़ी करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध एफ0आई0आर दर्ज़ करने के लिए लिखा। प्रार्थना पत्र देने के बाद बैंक कर्मियों को एफ0आई0आर0 की जानकारी मिल गयी। बैंक कर्मियों ने भुक्तभोगियो को बुलाकर हिसाब देने के लिए कहा। सभी लाभार्थियों का पुराने ऋण की अदायगी और ऋण अदायगी की रसीदें दिलायी गयीं। जिन लाभार्थियों की ऋण अदायगी से ज्यादा धनराशि थी सभी को शेष पैसा दे दिया गया। इस प्रकार से भुक्तभोगियों को न्याय मिल सका । पाठा क्षेत्र की ग़रीब जनता बड़ी भोली–भाली है। इसी प्रकार पाठा के गरीबों के साथ आये दिन अनेकों प्रकार की घटनायें घटती रहती हैं। क्या कभी प्रशासन ऐसे ग़रीबो को इसी प्रकार की समस्याओं से बचा सकेगी ? क्या ग़रीबों की मदद हो सकेगी ?

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	गाँव	कार्ड सं0	स्वीकृति धनराशि
1	दयराम	श्री हिरवा	सुअरगढ़ा	30416	25000
2	किशोरी	श्री कल्लू	,,		40000
3	रामपत	श्री चैता	,,	30366	25000
4	मिठाईलाल	श्री बहोरी	,,	30391	30000
5	झल्लू	श्री छोटा	,,	30393	20000
6	रामकुमारी	श्री रामकिशुन	,,		
7	रामकिषुन	श्री बहोरी	,,		
8	बृजलाल	श्री शिवमंगल	,,		

स्वयं सहायता समूह के बल पर उर्मिला को मिला जीवन जीने का आधार

श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री समयलाल जाति–कोल (हरिजन) 26 वर्षीया महिला है। उर्मिला के परिवार में बच्चों सहित 6 सदस्य हैं। उर्मिला साक्षर है। उर्मिला मानिकपुर ब्लाक के ग्राम पंचायत कोटा कदैला के मजरा पत्रकारपुरम की निवासिनी है।

पाठा कोल विकास समिति मानिकपुर द्वारा पैक्स कार्यक्रम के तहत 2 वर्ष पूर्व पत्रकार पुरम में **'पवन' स्वयं सहायता समूह'** का गठन किया गया था। समूह में 12 सदस्य हैं। उर्मिला भी समूह की एक सदस्य है, जो शुरुआत काल से ही पवन समूह की सक्रिय सदस्य है।

उर्मिला एवं उसके पति समयलाल कृषि एवं मजदूरी कार्य से अपना परिवार पालते थे। उर्मिला का कहना है कि उसको हमेशा ही घर में किसी आकस्मिक खर्चे के लिए उधारी लेनी पड़ती थी। उनके परिवार में पैसों की हमेशा कमी रहती थी।

लगभग 1 वर्ष पूर्व एक दिन उर्मिला ने समूह की बैठक में सदस्यों के समक्ष खुद को 1000 रु0 ऋण देने की बात रखी। पूँछे जाने पर उसने बताया कि वह इस पैसे से घर में किराना की दूकान कर अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है। सदस्यों ने उर्मिला की बात पर गहन चर्चा की। कर्ज वापसी एवं ब्याज दर निर्धारण के उपरान्त उर्मिला को अपने समूह से 1000 रु0 का ऋण प्राप्त हो गया।

उर्मिला की दूकान का एक दृश्य

उर्मिला ने 1000 रु0 की सामग्री निकट के डभौरा (म0प्र0) बाजार से क्रय कर अपने घर में किराना दूकान की शुरूआत की। एक दो माह के बाद उसकी दूकान ठीक से चलने लगी। वह एक वर्ष से लगातार दूकान चला रही है। वर्तमान में उर्मिला की दूकान की बिक्री लगभग 300 रु0 प्रतिदिन की है। उर्मिला कहती है कि वह अपने घर का खर्च दूकान से पूरा कर लेती है। एक अनुमान के आधार पर प्रतिमाह रुपये 1500 से 2000 तक की आय हो जाती है। उसकी दूकान वर्तमान में लगभग 2000 रु0 की है। उसने ऋण भी वापस कर दिया है। उर्मिला अपनी दूकान को समूह से पुनः बड़ा कर्ज लेकर और बड़ी करना चाहती है। उर्मिला के अनुसार लगभग दस से पन्द्रह हजार की पूँजी हो तो क्षेत्रीय लघुवन उपज जैसे– महुवा, चिरौंची, आँवला, अवलेठी तथा अनाज को विभिन्न मौसमों में क्रयकर गाँव के निकटतम कस्बों की बाजारों में बेंचकर अच्छी आय की जा सकती है।

चिनगारी संगठन के सतत् प्रयास से सम्भव हो सका तेन्दू पत्ता की मजदूरी का भुगतान

● चित्रकूट धाम कर्वी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर के गरीब दलितों द्वारा प्रतिवर्ष मई–जून माह की भयंकर तपन व गर्मी में अपने दुधमुँहे बच्चों को लेकर महिलायें तेन्दू पत्ता तोड़ने का कार्य करती हैं। इस कार्य में उनका पूरा परिवार सारा दिन व्यस्त रहता है। वर्ष 2004 में यहाँ के फड़ मुंशी मिठाईलाल व रामफल ने तेन्दू पत्ता तोड़वाने का कार्य कराया। इस क्षेत्र में तेन्दूपत्ता तोड़वाई में मजदूरों को 2 वर्षों से कूपन नहीं दिया जाता। कूपन के स्थान पर अब ये लोग कागज के छोटे–छोटे टुकड़ों में इनकी गड्डी संख्या लिखकर इनको दे देते हैं। जन चेतना यात्रा के दौरान जब **दामिनी समिति शिवरामपुर, चित्रकूट** के कार्यकर्ता दोपहर में भूरी के मकान में बैठे तथा लोगों से चर्चा हुई उस समय महिलाओं ने पर्ची दिखाई थी। तभी संस्था कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया कि आप लोग इन पर्चियों को सुरक्षित रखियेगा जब तेन्दू पत्ता की तोड़ाई हो गई और तेन्दू पत्ता ट्रक में भरकर चला गया इसके बीच में महिलाओं ने कई बार मजदूरी माँगी, लेकिन फड़ मुंशी इधर–उधर टालता रहा। इसी बीच संस्था कार्यकर्ताओं ने चिनगारी संगठन, दबाव समूह के सदस्यों के साथ तेन्दू पत्ता की मजदूरी के सन्दर्भ में बैठक की जिसमें यह सुझाव दिया गया कि आप लोग जब तक अपनी मजदूरी हेतु आवाज़ नहीं उठायेंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। इसके लिए आप लोगों को धरना, प्रदर्शन व आन्दोलन करना होगा। इसके बाद चिनगारी समूह व दबाव समूह के सदस्यों ने एक प्रार्थना पत्र लिखा और 4 फरवरी 2005 को जिलाधिकारी महोदय को दिया और कहा कि एक सप्ताह के अन्दर हमारे तेन्दू पत्ता की मजदूरी नहीं मिली तो हम धरना व अनशन करेंगे। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने मजदूरों की मजदूरी की ओर ध्यान नहीं दिया। चिनगारी समूह की महिलाओं व दबाव समूह के नवयुवकों ने गाँव के सभी लोगों को एकत्र कर 13 फरवरी 05 को जिला मुख्यालय में ध

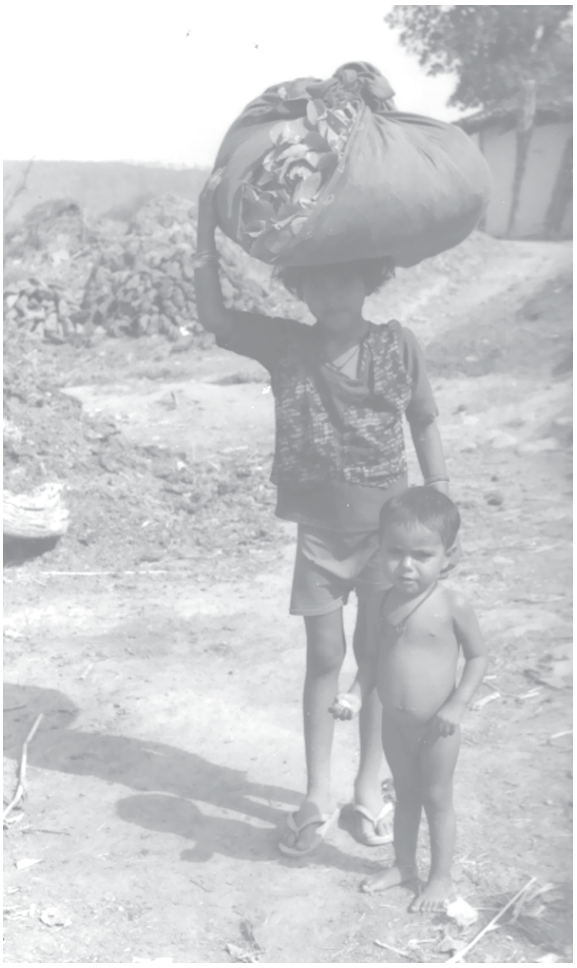

ारना दिया एवं कहा जब तक हम लोगों की मजदूरी नहीं मिल जायेगी हम लोग यहाँ से नहीं जायेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। इस पर जिलाधिकारी श्री के0पी0पाण्डेय ने एस0डी0एम0 श्री बसन्ता जी को इस पर कार्यवाही के आदेश दिये। एस0डी0एम0 साहब ने तत्काल थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सुभाष यादव को फोन से कहा कि 24 घण्टे के अन्दर फड़ मुंशी रामफल व मिठाईलाल को पकड़कर मेरे पास लाओ। थानाध्यक्ष तुरन्त मुकुन्दपुर जाकर रामफल व मिठाईलाल को पकड़कर रात 8 बजे जिला मुख्यालय आये। दोनो फड़ मुंशियों ने कहा कि हम तीन दिन के अन्दर मजदूरी दे देंगे तथा मजदूरों से माफी भी माँगी। इस पर जिला प्रशासन ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद भी जब मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ तो पुनः मजदूरों ने 15 फरवरी को एक ट्रैक्टर लेकर मजदूर आये और जिला मुख्यालय पर धरना प्रर्दशन किया व जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। जिलाधिकारी ने तत्काल एस0डी0एम0 को बुलाकर मजदूरों की मजदूरी दिलाने को कहा। एस0डी0एम0 कर्वी ने तुरन्त इकाई अधिकारी पी0एन0 यादव को बुलाया और दोनों फड़ मुंशियों को बुलाकर फटकार लगाई। इसके बाद फड़ मुंशियों ने कहा कि हम लोगों से पैसा खर्च हो गया है। हम तीन दिन के अन्दर व्यवस्था कर मजदूरी का भुकतान कर देंगे। इस पर मजदूरों ने कहा कि हम एस0डी0एम0 के हाथों से पैसा लेंगे। इस पर एस0डी0एम0 ने कहा कि मैं स्वयं मुकुन्दपुर आऊँगा और आप लोगों की मजदूरी दिलवाऊँगा। इस पर संस्था कार्यकर्ता बलराम ने लोगों को समझा–बुझाकर गाँव वापस किया तथा दिनाँक 19.02.05 को इकाई अधिकारी पी0एन0यादव व फड़ मुंशी तथा संस्था कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तेन्दू पत्ता की मजदूरी 2,20,000 रु

दैनिक जागरण

कानपुर, 8 दिसंबर, 2004 9

मजदूरी का भुगतान कराने की मांग

चित्रकूट कार्यालय

शिवरामपुर व भरतकूप क्षेत्र के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न मिलने के बारे में दामिनी समिति ने मुख्यमंत्री, कमिश्नर व सांसद को भेजे गए पत्र में मजदूरी का भुगतान दिलवाने की गुजारिश की है। समिति की मंत्री ने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोजगार योजना के अंतर्गत मुख्य मार्ग से गोंड़ा ग्राम तक सड़क निर्माण कार्य में लगे लगभग 70 श्रमिकों की 50 हजार मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं किया गया। एक वर्ष से लगातार श्रमिकों द्वारा मजदूरी दिलाने की मांग की जाती रही है,पर अब तक कोई सुनवाई नही हुई।

इसी तरह तमाम मजदूरों की तेंदूपत्ता तुड़ाई की मजदूरी का भुगतान भी वन निगम द्वारा नहीं किया जा रहा है। समिति की मंत्री ने बताया कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी को गोंड़ा के 70, डोलबजा के 12 और भरथौल के 15 मजदूरों की मजदूरी न मिलने की जानकारी दो माह पूर्व दी गई थी। इसी तरह 95 ग्रामीणों ने बीती 23 सितंबर को डीएलएम वन निगम को प्रार्थना पत्र देकर तेंदूपत्ता तुड़ाई की बकाया पड़ी मजदूरी का भुगतान दिलाने का अनुरोध किया, पर परिणाम शून्य है।

इकाई अधिकारी व फड़ मुंशी संस्था कार्यकर्ता के समक्ष मजदूरी का भुगतान करते हुए

मजदूरों भुगतान को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय, चित्रकूट के समक्ष आन्दोलन करते मजदूर

एक ऐतिहासिक जीत

● जिन्दगी की समस्यायें जब तक पूरी हो पायें तब तक गरीबी के साक्षात दर्शन करने वाले लोग दम तोड़ देते हैं। सिर्फ पेट भरने के जुगाड़ में हाड़तोड़ मेहनत करने वाले मजदूर शायद अपनी पूरी जिन्दगी नहीं जी पाते। बचपन से कब बुढ़ापा आया, उन्हें स्वयं नहीं मालूम पड़ पाता। पत्थरों के देश में इन कोल मजदूरों की जिन्दगी भी शायद पत्थर सी ही हो गई है, तभी तो अकारण मौत के दरवाजें हमेशा इनके लिये खुले से रहते हैं और यही हाल 60 वर्ष की वृद्धा मुण्डी उर्फ गुजरतिया के साथ हुआ। वृद्धावस्था में भी यह अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करती थी, सर्दी, गर्मी और बरसात में यह वृद्धा सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए मजदूरी करती व रोजाना शाम को पास के भरतकूप बाजार से खाने–पीने का सामान (आटा, दाल, चावल, सब्जी आदि) लाती और अपना चूल्हा जलाती। समाज कल्याण विभाग के कई चक्कर लगाने के बाद भी इसे इसके पति के मर जाने के बाद विधवा पेंशन लाल फीताशाही के चलते नही प्राप्त हो सकी। गौरतलब है कि मुण्डी उर्फ गुजरतिया के पति सौखीलाल कोल की मृत्यु लगभग 10 वर्ष पहले हो गई थी। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी गुजरतिया के सात पुत्र होने के नाते उसकी भरण–पोषण की जिम्मेदारी पुत्रों की मानकर विधवा पेंशन देने में आना–कानी करते रहे। उनका मानना था कि जिस माँ के सात जवान पुत्र हों, उसे पेंशन की क्या आवश्यकता ?

10 साल से लगातार मजदूरी में खटती मुण्डी 28 दिसम्बर 2003 को भयानक शीतकाल के मौसम में दिनभर मजदूरी करने के बाद सायंकाल 5 बजे भरतकूप राशन लकड़ी लेने आई। भयानक शीतलहर के चलते उसका वृद्ध शरीर ठण्ड के दबाव को न झेल सका। परिणामस्वरूप वह अकड़कर भरी बाजार में गिर पड़ी और देखते ही देखते उसके प्राण पखेरू निकल गये। मौजूद लोगों ने वृद्ध कोल महिला की सहायता के नाम पर मात्र उसके शव को निचली जातियों के लोगों के द्वारा घसीटवा कर किनारे कर दिया। बाद में इन्हीं लोगों ने उसकी मृत्यु को स्वाभाविक बताकर श्वाँस की बीमारी से मरने की बात कही और तमाम प्रयास किये कि इसकी मृत्यु श्वाँस या टी0बी0 से हुई जानी जाये। पर ऐसा न हो सका। **दामिनी समिति** के कार्यकर्ताओं को वास्तविक कहानी मालूम पड़ने के बाद उन्होनें इस मामले की भरपूर पैरवी की और मामले के सभी तथ्यों को सहेजकर प्रशासनिक उच्चाधिकारियों तक पहुँचाया। अधिकारियों ने भी असरदार व्यक्तियों के प्रभाव में आकर पहले तो पोस्टमार्टम कराने से मना किया, किन्तु बाद में पोस्टमार्टम हेतु मजबूर होना पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद जब डाक्टर ने उसे उसकी मृत्यु ठण्ड से आखिर मान ही ली, तब जाकर यह बात आई कि मुआवजा का असली हकदार कौन है? संस्था के लोगों ने ही इसको भी बड़ी चतुराई के साथ निपटाया उन्होने मृतका के सभी लड़के व लड़कियों को एकत्र कर यह बात रखी कि आप में जो भी सबसे ज्यादा सक्षम हो माँ की देखभाल करता रहा है उसे मुआवजा मिलने की बात तय की गई। बाद में तहसीलदार के निर्देश में मृतका के पुत्र कल्लू, श्रीपाल, रन्जीत, छोटे, राममिलन, मन्झा व मंगल ने एक शपथ पत्र देकर साफ तौर पर कहा कि उनका भाई लाला पुत्र सौखी निवासी डफाई भरतकूप ही उनके परिवार का अगुवा व मालिक है। वह पूरे परिवार का खर्चा व अन्य मामले भी देखता है। अतः मुआवज़े की रकम उसे दे दी जाये। इस शपथ पत्र के बाद एस0डी0एम0 कर्वी ने तहसील बुलाकर सभी भाइयों के सामने 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) का चेक लाला को सौंप दिया। इस प्रकार मुण्डी उर्फ गुजरतिया के ठण्ड से मरने के बाद संस्था के प्रयास से न्याय मिल सका।

मुण्डी उर्फ गजरतिया के शव के पास बैठे परिजन

समूह की पहल से कमला को मिलने लगी विधवा पेंशन

● कमला चित्रकूट धाम कर्वी ब्लाक की ग्राम पंचायत पथरौड़ी की निवासिनी है। उसका जीवन बड़े संघर्ष के साथ गुजर रहा था। कमला के पति हमेशा अस्वस्थ रहते थे धीरे–धीरे उन्हें क्षय रोग का शिकार होना पड़ा। बेचारी कमला उनकी सेवा निःस्वार्थ भाव से करती रही। उनके इलाज हेतु कई अच्छे–अच्छे डाक्टरों के पास ले गई लेकिन आराम नहीं मिला। इधर उधर से कर्ज लेकर दवा करवाई। आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती रही लेकिन दवा कराने में पीछे नहीं हटी। भगवान भरोसे उनकी दवा करती रही लेकिन उनका मर्ज सही नहीं हुआ और वह स्वर्गवासी हो गये। 2002 में उनके पति जब नहीं रहे तब से बेचारी अबला कमला अपने दो लड़के एवं दो लड़कियों के पालन पोषण हेतु मजदूरी करने के लिए विवश हो गई।

ग्राम प्रधान दुलारे से प्रार्थना किया कि मुझे पारिवारिक लाभ हेतु फार्म भरवाकर लाभ दिलाइये, लेकिन प्रधान पहले 2000 रुपये घूस माँगता था। कमला निर्धन होने के कारण 2000 रुपये घूस नहीं दे पाई और प्रधान ने 10 हजार का लाभ नहीं दिलाया, 2003–04 में दामिनी समिति के कार्यकर्ताओं से सम्पर्क हुआ तो अपनी पूरी स्थिति बताई, उसके फार्म को लेकर जब संस्था कार्यकर्ता समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ गये और जानकारी हासिल की तो उन्होंने कहा कि अब उसका समय निकल चुका है। क्योंकि फार्म 1 वर्ष बाद डाला गया था। इसमें किसी प्रकार की कार्यवाही सम्भव नहीं है, जब इस तरह की जानकारी कमला को दी गई तो हाय खा गई और कहने लगी कि गरीबी में कोई सहायता नहीं करता। धीरे–धीरे कमला संस्थान की प्रेरणा से ज्योति स्वयं सहायता समूह की सदस्य बन गई, मासिक बचत करने लगी। अपनी समस्या को समूह में रखा तो समूह की पहल से फार्म प्रधान द्वारा भरवाकर समाज कल्याण आफिस को भेजा गया। **दामिनी समिति** कार्यकर्ता शिवबरदानी और कुसमा द्वारा पैरवी की गई। 2–3 माह की पैरवी के पश्चात अब कमला को विधवा पेंशन का लाभ मिलने लगा है। कमला अब समूह से जुड़ने में खुश है।

ज्योति स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत करते हुए ट्रस्ट कन्सल्टिंग के श्री विनोद जैन एवं श्री आशिफ जैदी

"This document is output fron a project funded by the Department for International Development (DFID), U.K. for the benefet of the developing conutries. The views expressed are not necessarily those of the Management Consultant or Department for International Development (DFID), U.K."

ABOUT AKHIL BHARTIYA SAMAJ SEWA SANSTHAN (ABSSS) CHITRAKOOT (U.P.)

Philosophy of ABSSS - ABSSS believes in ***Rachna*** (Creation) and ***Sangharsh*** (Non-Violence Struggle) to empower the most marginalised and exploited sections. Hence, ***"Antya Ka Uday"*** – Rise of the last has been the core developmental value statement of ABSSS by reflecting its meaning in all developmental interventions and initiatives to build a society where adivasis, dalits and women get equal opportunity (socially, economically and culturally) to live and work with dignity.

VISION OF ABSSS - Our Vision is "to see a prosperous society where all have equality, access to social justice and opportunities for better livelihood."

MISSION OF ABSSS - "Advocacy and lobbying for the rights of adivasis and dalits and strengthen local institutions in the Bundelkhand Region to ensure self empowerment for Sustainable Development."

Goals and Strategies of the ABSSS

Goal 1 :To improve accessibility of tribal and dalits children and youth to basic education and livelihood skills respectively

Strategies

- *Support early age (FE, NFE) and adult education based on local environment and culture;*
- *Promote education based on human values, social cohesion and local culture;*
- *To widen the range of knowledge and understanding of the social, economic and political system in order to create a critical awareness about the environment;*
- *Increase employment generation skills and options among youths.*

Goal 2 :To minimise gender inequality and undertake proactive women empowerment initiatives

Strategies

- Effective redressal mechanism on women exploitation and atrocities against women;
- Promotion and strengthening of grassroots level women's organisations and networks to take up inequality and empowerment related issues;
- Increased participation of women in Gram Sabhas and PRIs;
- Increased access by women to easy credit for creation of productive assets and income generation opportunities;
- Increased access by women to basic health support services.
- To improve the health status of women and children of dalit, tribals and backward communities
- To ensure that people have access to better health, education and sanitation in villages.

Goal 3 : To improve the socio- economic and political conditions of the tribal and dalits and facilitate them to have increased control over natural resources and its optimal utilisation

Strategies

- Land and water resource management & development;
- Improve rain-water harvesting and percolation for improving agricultural productivity;
- Promotion of agro-based support services;
- Value addition to local natural resources and marketing options;
- Improve scope for inform income generating activities;

Goal 4 :To improve community participation in local planning and strengthen of PRIs for increased access to and use of developmental resources;

Strategies

- *Capacity building of Gram Sabhas and PRIs;*
- *Strengthening of Gram Sabha members for their active participation and decision-making in local governance process;*
- *Promotion of community managed village development information centres;*
- *Information dissemination on power of Gram Sabha and their role in mobilising resources for local area*

Goal 5 : To strengthen the civil society and improve their access over information and opportunities

Strategies - • Strengthening of individuals, CBOs and networks to act as catalyst and pressure groups;

- Strengthening of local cadres and volunteers to identify and find solutions to address local prblems effectively;

Goal 6: To promote and undertake necessary actions for protecting social justice and fundamental rights among tribal and dalits

Strategies -

- Situation assessment and documentation of ground realities to highlight violation and denial of social justice and fundamental rights;
- Network with local civil society institutions and strengthen alliance to identity issues in relation to human rights violations;
- Interface and exchange of information between the target groups and the government machinery;
- Public hearings between the effected families and concerned administration;
- Issue based campaign and lobbying at both micro and micro level for redressal;
- Highlighting of issues by using local media and various other mediums; and
- Legal support and facilitation to effected families in the form of taking up both individual and common cases with judiciary.

Goal 7 :To create a sustainable environment by influencing public policy at state level on pro-poor livelihood and human rights issues

Strategies

- Promotion of a human rights resource centre to act as human rights violation watch-dog and support centre;
- Awareness building and sensitisation among tribal and dalits about their fundamental right to livelihood;
- ssue based advocacy and lobbying of issues with government bureaucrats and legislative members;
- Policy advocacy to influence government policies on common issues;
- Public interest Litigations to draw attention of the judiciary for giving legal direction to concerned government machinery for action and policy change;
- Workshops and seminars on pro-poor livelihood support and human rights related issues in regular interval ;

Developmental Priorities - ABSSS has the following three development priorities that are core to its intervention process and on which other programme-wise thematic intervention issues are based to address widespread poverty and deprivation that is rampant in the targeted programme locations :

- Improvement and upliftment of Tribals & Dalits in the materials situation such as provision for minimum livelihood opportunities; opportunities for culturally sound and value based education; provision for basic health support & improved environment
- Human rights protection, advocacy & legal support to reduce social imbalance and inequality among tribal and dalits;
- Networking with like-minded civil society groups and make them proactive in addressing human rights and rural entitlement issues in Bundelkhand region;

Strategic Issues

- Developing of a long-term perspective action plan on Bundelkhand region in relation to livelihood issues, education, healthcare, sustainable agriculture, natural resource management, poverty, social exclusion and deprivation among tribals and dalits;
- Masco and Macro level Policy advocacy and intervention in relation violation of basic rights among tribal;
- Strengthening the local cadres, social entrepreneurs among dalits and tribal; and
- Networking with local civil society organisations and concerned citizens for identification critical iissues to undertake joint actions with object oriented focused programme interventions.

SHREE NARAYAN PRINTING PRESS, ALLAHABAD. Ph. 0532-3097744, Mob. 9415305959